राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति
और
उपराष्ट्रपति
का निर्वाचन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जून 2017

लार्डिस (एलसी)/2017-पु॰-1

पहला संस्करण, 1987
दूसरा संस्करण, 1997
तीसरा संस्करण, 2002
चौथा संस्करण, 2007
पांचवां संस्करण, 2012
छठा संस्करण, 2017
(अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है)

© 2017 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

भारत का राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति के बाद, उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु पन्द्रहवां निर्वाचन 2017 में होना है। इस अवसर पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने के प्रयास के रूप में एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पुस्तिका इन निर्वाचनों का आयोजन किए जाने हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रियाओं और पद्धतियों की भी जानकारी प्रदान करती है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करने से लेकर परिणामों की घोषणा करने तक, यह पुस्तिका राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में वर्णित विभिन्न चरणों की जानकारी प्रदान करती है।

मैं भारत निर्वाचन आयोग तथा विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए उनके सहयोग हेतु उनका आभारी हूं। मैं इस संस्करण को प्रकाशित करने के लिए लोक सभा सचिवालय के विधि और संवैधानिक कार्य स्कंध के प्रयासों की भरपूर सराहना करता हूं।

मुझे आशा है कि यह पुस्तिका उपयोगी और ज्ञानप्रद सिद्ध होगी।

नई दिल्ली;
जून, 2017

अनूप मिश्र,
महासचिव,
लोक सभा।

विषय सूची

		पृष्ठ
एक.	**प्रस्तावना**	1
दो.	**संवैधानिक उपबन्ध**	11
	उम्मीदवार कौन हो सकता है ?	11
	निर्वाचन का समय	12
	निर्वाचकगण	13
	निर्वाचन की पद्धति और मतों का मूल्य	17
	निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है	20
तीन.	**राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य**	22
चार.	**राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उसके अधीन नियम**	25
	रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति	25
	निर्वाचन की अधिसूचना	25
	निर्वाचन की लोक सूचना	26
	नामांकन पत्र	28
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	29
	अभ्यर्थिता वापस लेना	31
	मतदान से पूर्व अभ्यर्थी का निधन	32
	सुरक्षा प्रबन्ध	32
	मतदान	33
	संसद सदस्यों और विधायकों के लिए मतदान का स्थान	33
	मतदान अधिकारियों की नियुक्ति	34
	मतपत्र और मतपेटियों की सप्लाई	34
	मतपेटियों का निरीक्षण और उन पर मुहर लगाना	35
	मतदान के स्थान में प्रवेश	35
	मतपत्र देने की प्रक्रिया	36
	नए मतपत्र कब दिये जा सकते हैं	36
	मतदान प्रक्रिया	36
	निरक्षर या नि:शक्त निर्वाचक द्वारा मतदान	37

पृष्ठ

निवारक निरोध के अधीन निर्वाचक द्वारा मतदान 38
मतपत्रों का लेखा 38
मतदान का बंद होना और मतपेटियों तथा कागजपत्रों का मुहरबंद किया जाना .. 38
मतों की गणना और परिणामों की घोषणा 39
गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश 39
मतदान की गोपनीयता बनाए रखना 40
मतपत्र कब अविधिमान्य होंगे 40
प्रत्येक मतपेटी के खोले जाने पर प्रक्रिया 41
परिणाम का अवधारण 42
परिणाम की घोषणा 44
मतपेटियों और निर्वाचन संबंधी कागजपत्रों की वापसी 44

परिशिष्ट

एक. भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना 49
दो. नामनिर्देशन पत्र—भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 51
तीन. नामनिर्देशन पत्र—भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 58
चार. अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना 62
पांच. भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन (निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची) 63
छह. मतदान अधिकारियों के लिए अनुदेश 64
सात. परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश 66
आठ. मतपत्र लेखा/गणना का परिणाम 68
नौ. घोषणा 69
दस. भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन परिणाम की विवरणी 70

प्रस्तावना

संविधान निर्माताओं ने भारत को एक गणतंत्र बनाने का संकल्प लिया था और इसे भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित किया तथा देश के लोगों को सभी प्राधिकारों का स्रोत बनाया। शासन के सांस्थानिक ढांचे में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च निर्वाचित पद होता है और वह देश का प्रथम नागरिक होता है। वह भारतीय गणतंत्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है और केन्द्रीय विधायिका तथा कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है।

राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु संविधान निर्माताओं द्वारा चयनित प्रक्रिया का आधार व्यापक है। राष्ट्रपति को संसद की दोनों सभाओं और राज्यों की विधानसभाओं तथा ऐसे संघ राज्यक्षेत्रों, जहां विधान सभा हैं, के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस प्रकार, राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण राष्ट्र द्वारा चुना जाता है।

राष्ट्रपति का पद निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है : पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, मृत्यु होने के कारण; पद त्याग; महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर; अथवा अन्यथा अर्थात् राष्ट्रपति के निर्वाचन को रद्द करने पर।

अनुच्छेद 57 के अनुसार, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर हो अथवा जो राष्ट्रपति के पद पर रहा हो, वह भी संविधान के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन उस पद पर पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा।

जहां तक भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध है, भारत के संविधान में संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उसके निर्वाचन हेतु एक प्रावधान बनाया गया है।

उपराष्ट्रपति का पद निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है : पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर; मृत्यु होने के कारण; पद त्याग; हटाए जाने पर; अथवा अन्यथा अर्थात् उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को रद्द करने पर।

यद्यपि अनुच्छेद 57 के अनुरूप कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र बनाता हो, लेकिन अनुच्छेद 66 की व्याख्या* में यह व्यवस्था है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र है।

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों हेतु निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 54 से 58 और 62, 66 से 68 और 71 में निहित उपबंधों, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अर्थात् राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। इन पदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, इन निर्वाचनों को सम्पन्न कराने का प्राधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास है।

---

* अनुच्छेद 66 की व्याख्या के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं माना जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति है अथवा किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ अथवा किसी राज्य में मंत्री है।

राष्ट्रपति* और उपराष्ट्रपति के पद हेतु प्रथम निर्वाचन 1952 में हुआ था। इन पदों हेतु पन्द्रहवां निर्वाचन, 2017 में, वर्तमान राष्ट्रपति, जो 25 जुलाई, 2012 को पदासीन हुए थे, और, उपराष्ट्रपति, जो अपने पुनर्निर्वाचन पर 11 अगस्त, 2012 को पदासीन हुए थे, के कार्यकाल पूरा करने से पहले, होना है।

* डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था, वह 1952 में प्रथम राष्ट्रपतीय निर्वाचन में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक इस पद पर बने रहे।

तालिका : 1

भारत के पूर्व राष्ट्रपति

	नाम	पद ग्रहण और कार्यकाल[£]
	डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद	13 मई 1952 — 13 मई 1957* और 13 मई 1957—13 मई 1962 (दूसरा कार्यकाल)
	डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई 1962 — 13 मई 1967
	डॉ॰ जाकिर हुसैन	13 मई 1967 — 3 मई 1969[$]
	श्री वी॰वी॰ गिरि	24 अगस्त 1969 — 24 अगस्त 1974[@]
	श्री फखरूद्दीन अली अहमद	24 अगस्त 1974 — 11 फरवरी 1977[#]
	डॉ॰ नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई 1977 — 25 जुलाई 1982
	ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई 1982 — 25 जुलाई 1987
	श्री आर॰ वेंकटरमन	25 जुलाई 1987 — 25 जुलाई 1992
	डॉ॰ शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई 1992 — 25 जुलाई 1997
	श्री के॰आर॰ नारायणन	25 जुलाई 1997 — 25 जुलाई 2002
	डॉ॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम	25 जुलाई 2002 -— 25 जुलाई 2007
	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील	25 जुलाई 2007 — 25 जुलाई 2012
	श्री प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई 2012 — अब तक

* डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद 26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति रहे।

[$] श्री वी॰वी॰ गिरि 3 मई से 20 जुलाई, 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

[@] श्री एम॰ हिदायतुल्ला 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

[#] श्री बी॰डी॰ जत्ती 11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

[£] http://presidentofindia.nic.in/former-presidents.htm

तालिका : 2

राष्ट्रपतीय निर्वाचन में निर्वाचकों की भागीदारी*

क्रम सं॰	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	राज्य विधान सभाओं की संख्या	उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य		डाले गये मतों का कुल मूल्य	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
					संसद सदस्य	विधान सभा के सदस्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	04.04.1952	4056	23	**5** [**डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद (विजयी उम्मीदवार)** -5,07,400; श्री के॰टी॰ शाह - 92,827; श्री थाटे लक्ष्मण गणेश - 2,672; श्री हरि राम - 1,954; श्रीमती कृष्ण कुमार चटर्जी -533;]	494	7 से 143	605386	06.05.1952
2.	06.04.1957	—@	14	**3** [**डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद (विजयी उम्मीदवार)** -4,59,698; श्री नागेन्द्र नारायण दास - 2,000; चौधरी हरि राम - 2,672;]	496	59 से 147	464370	10.05.1957
3.	06.04.1962	—@	15	**3** [**डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (विजयी उम्मीदवार)** - 5,53,067; चौधरी हरि राम -6,341; श्री यमुनाप्रसाद त्रिशूलिया -3,537;]	493	59 से 147	562945	11.05.1962

4.	03.04.1967	4131	17	**17** [**डॉ॰ जाकिर हुसैन (विजयी उम्मीदवार)** - 4,71,244; श्री कोटा सुब्बाराव - 3,63,971; श्री खूबी राम - 1,369; श्री यमुना प्रसाद त्रिशूलिया - 750; श्रीमती भमबुरकार श्रीनिवास गोपाल-232; श्री ब्रह्मदेव - 232; श्री कृष्ण कुमार चटर्जी - 125; श्री कुमार कमला सिंह - 125; श्री चन्द्रदत्त सेनानी; श्री यू॰पी॰ चुगनी; डॉ॰ एम॰सी॰ दावर; चौ॰ हरिराम; डॉ॰ मानसिंह; श्रीमती मनोहरा होल्कर; श्री मोतीलाल भीखाभाई पटेल; श्रीसीतारम्मइया रामास्वामी शर्मा होयसला; श्री सत्यभक्त–प्रत्येक को शून्य]	576	8 से 174	838048	09.05.1967
5.	14.07.1969	—@	—@	**15** [**श्री वी.वी. गिरि (विजयी उम्मीदवार)** - 4,01,515; श्री नीलम संजीव रेड्डी -3,13,548; श्री सी॰डी॰ देशमुख - 1,12,769; श्री चंद्रदत्त सेनानी - 5,814; श्रीमती फुरचरण कौर - 940; श्री राजाभोज पांडुरंग नथ्थुजी - 831; पंडित बाबूलाल माग - 576; चौ॰ हरि राम - 125; श्री शर्मा मनोविहारी अनिरुद्ध - 125; श्री खूबी राम - 94; श्री भागमल, श्री कृष्ण कुमार चटर्जी, श्री संतोष कुमार कुछवाहा, डॉ॰ रामदुलार त्रिपाठी चकोर, श्री रमनलाल पुरुषोत्तम व्यास – प्रत्येक को शून्य]	–@	–@	836337	20.08.1969
6.	16.07.1974	4405	21	**2** [**श्री फखरुद्दीन अली अहमद (विजयी उम्मीदवार)** - 7,65,587; श्री त्रिधिव चौधरी -1,89,196;]	723	9 से 208	954783	20.08.1974

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	04.07.1977	4532	22	**1** **[श्री नीलम संजीव रेड्डी (निर्विरोध निर्वाचित)]**	702	7 से 208	निर्विरोध	21.07.1977
8.	09.06.1982	4583	22	**2** **[ज्ञानी जैलसिंह (विजयी उम्मीदवार)** - 7,54,113;श्री एच॰आर॰ खन्ना-2,82,685;]	702	7 से 208	1036798	15.07.1982
9.	10.06.1987	4695	25	**3** **[श्री आर॰ वेंकटरमन (विजयी उम्मीदवार)** -7,40,148; श्री वी॰आर॰ कृष्ण अय्यर - 2,81,550; श्री मिथिलेश कुमार-2,223;]	702	7 से 208	1023921	17.07.1987
10.	10.06.1992	4748	25	**4** **[डॉ॰ शंकर दयाल शर्मा (विजयी उम्मीदवार)** - 6,75,864; श्री जी॰जी॰ स्वैल-3,46,485; श्री राम जेठमलानी - 2,704; काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ - 1,135;]	702	7 से 208	1026188	17.07.1992
11.	09.06.1997	4848	27	**2** **[श्री के॰आर॰ नारायणन (विजयी उम्मीदवार)** -9,56,290; श्री टी॰एन॰ सेशन-50,631]	708	7 से 208	1006921	22.07.1997
12.	11.06.2002	4896	30	**2** **[डॉ॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम (विजयी उम्मीदवार)** - 9,22,884; श्रीमती लक्ष्मी सहगल-1,07,366;]	708	7 से 208	1030250	18.07.2002

13.	16.06.2007	4896	30	**2** [**श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (विजयी उम्मीदवार)** - 6,38,116; श्री भैरोसिंह शेखावत - 3,31,306]	708	7 से 208	969422	21.07.2007
14.	16.06.2012	4896	30	**2** [**डॉ॰ प्रणब मुखर्जी (विजयी उम्मीदवार)** -7,13,763; श्री पी॰ए॰ संगमा-3,15,987;]	708	7 से 208	1029750	22.07.2012

*स्रोत : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित :—

i. भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, 2017

ii. निर्वाचक सांख्यिकी पॉकेट बुक 2016

@ भारत निर्वाचन आयोग के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

तालिका : 3
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति

	नाम	पद ग्रहण और कार्यकाल #
	डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई 1952 — 12 मई 1957 और 13 मई 1957— 12 मई 1962 (दूसरा कार्यकाल)
	डॉ॰ जाकिर हुसैन	13 मई 1962 — 12 मई 1967
	श्री वी॰वी॰ गिरि	13 मई 1967 — 03 मई 1969
	श्री जी॰एस॰ पाठक	31 अगस्त 1969 — 30 अगस्त 1974
	श्री बी॰डी॰ जत्ती	31 अगस्त 1974 — 30 अगस्त 1979
	श्री एम॰ हिदायतुल्ला	31 अगस्त 1979 — 30 अगस्त 1984
	श्री आर॰ वेंकटरमन	31 अगस्त 1984 — 24 जुलाई 1987
	डॉ॰ शंकर दयाल शर्मा	03 सितम्बर 1987 — 24 जुलाई 1992
	श्री के॰आर॰ नारायणन	21 अगस्त 1992 — 24 जुलाई 1997
	श्री कृष्णकांत	21 अगस्त 1997 -— 27 जुलाई 2002
	श्री भैरों सिंह शेखावत	19 अगस्त 2002 — 21 जुलाई 2007
	श्री मोहम्मद हामिद अंसारी	11 अगस्त, 2007 — 10 अगस्त, 2012 और 11 अगस्त 2012 — अब तक (दूसरा कार्यकाल)

http://vicepresidentofindia.nic.in/former-vice-presidents.

तालिका : 4

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में निर्वाचकों की भागीदारी*

क्रम सं॰	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	वैध उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	डाले गए वैध मत	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	12.04.1952	715	**1** [**डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, (निर्विरोध निर्वाचित)**]	निर्विरोध	25.04.1952
2.	09.04.1957	735	**1** [**डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, (निर्विरोध निर्वाचित)**]	निर्विरोध	23.04.1957
3.	06.04.1962	745	**2** [**डॉ॰ ज़ाकिर हुसैन (विजयी उम्मीदवार)** - 568; श्री एन॰सी॰ समंतसिंहार-14]	582	08.05.1962
4.	03.04.1967	749	**2** [**श्री वी॰वी॰ गिरि (विजयी उम्मीदवार)** - 483; प्रो॰ हबीब-193]	676	08.05.1967
5.	31.07.1969	759	**6** [**श्री जी॰एस॰ पाठक (विजयी उम्मीदवार)** - 400; अन्य उम्मीदवारों की तुलना में प्राप्त मतों का मूल्य —@]	—@	30.08.1969
6.	26.07.1974	767	**2** [**श्री बी॰डी॰ जत्ती (विजयी उम्मीदवार)** - 521; श्री एन॰ई॰ होरो-141]	662	27.08.1974
7.	23.07.1979	—@	**1** [**श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला (निर्विरोध निर्वाचित)**]	निर्विरोध	10.08.1979

1	2	3	4	5	6
8.	20.07.1984	788	**2** [**श्री आर॰ वेंकटरमन (विजयी उम्मीदवार)** - 508; श्री बापू चंद्रसेन कांबले-207]	715	22.08.1984
9.	04.08.1987	790	**1** [**श्री शंकर दयाल शर्मा (निर्विरोध निर्वाचित)**]	निर्विरोध	21.08.1987
10.	17.07.1992	790	**2** [**श्री के॰आर॰ नारायणन (विजयी उम्मीदवार)** - 700; श्री काका जोगिंदर सिंह *उर्फ़* धरती पकड़-1]	701	19.08.1992
11.	15.07.1997	790	**2** [**श्री कृष्ण कान्त (विजयी उम्मीदवार)** - 441; श्री सुरजीत सिंह-273]	714	16.08.1997
12.	10.07.2002	790	**2** [**श्री भैरोसिंह शेखावत (विजयी उम्मीदवार)** - 454; श्री सुशील कुमार सिंह-305]	759	16.08.2002
13.	09.07.2007	790	**3** [**श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (विजयी उम्मीदवार)** - 455; डॉ॰ (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला-222; श्री राशिद मसूद-75]	752	10.08.2007
14.	06.07.2012	790	**2** [**श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (विजयी उम्मीदवार)** - 490; श्री जसवंत सिंह-238]	728	07.08.2012

*स्रोत : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित :-

i. भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 2017

ii. निर्वाचक सांख्यिकी पॉकेट बुक 2016

@ भारत निर्वाचन आयोग के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दो. संवैधानिक उपबंध

उम्मीदवार कौन हो सकता है?

(क) राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 58 में उपबंध है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है; और

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। तथापि, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में संसद अथवा किसी राज्य विधान मंडल का कोई भी सदस्य अभ्यर्थी हो सकता है लेकिन यदि वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने संसद अथवा राज्य विधान मंडल का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। [अनुच्छेद 59 (1)]

अनुच्छेद 57 में यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

(ख) उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 66(3) के अनुसार, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है; और

(ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। तथापि, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद

धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

अनुच्छेद 66(2) में उपबंधित है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

अनुच्छेद 66 के स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। ऐसे मामले में, इसका आशय है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हेतु प्रात्र है।

निर्वाचन का समय

(क) राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात्, यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छह मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के कारण निर्वाचन रद्द करने अथवा किन्हीं वैध कारणों से निर्वाचन स्थगित करने जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन समय पर पूर्ण न होने की आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए अनुच्छेद 56 (1)(ग) में उपबन्ध है कि राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

चूंकि राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी का पांच वर्ष का कार्यकाल 24 जुलाई, 2017 को पूरा हो जाएगा, इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए तथा परिणाम घोषित किया जाए ताकि नए राष्ट्रपति 25 जुलाई, 2017 को कार्यभार संभाल सकें।

(ख) उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

अनुच्छेद 68 के अनुसार, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात्

यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन समय पर पूर्ण न होने की आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए अनुच्छेद 67(ग) में यह उपबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का पांच वर्ष का कार्यकाल 10 अगस्त, 2017 को पूरा हो जाएगा, इसलिए यह आवश्यक है कि उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए तथा परिणाम घोषित किया जाए ताकि नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त, 2017 को कार्यभार संभाल सकें।

निर्वाचकगण

(क) राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे।

संविधान (सत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 की धारा 2 (1 जून 1995 से प्रभावी) के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 54 के नीचे एक स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया गया। यह निम्नवत् है:—

''**स्पष्टीकरण**—इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में ''राज्य'' के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र हैं।''

तद्नुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में अब (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और (ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सहित राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।

संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के नामनिर्दिष्ट सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण में शामिल नहीं किया जाता।

निर्वाचकगण के संबंध में महत्वूपर्ण निर्णय

*मत देने के लिए निरर्हित सदस्यों की पात्रता**

दल बदल रोधी कानून के लागू हो जाने के बाद एक विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या इस कानून के तहत निरर्हित संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य उस दशा में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने के लिए पात्र हैं जब उनकी निरर्हता के विरुद्ध उनकी अपील न्यायालय में लंबित हो। 1987 में पंजाब विधान सभा के 22 सदस्यों को अध्यक्ष ने दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह कर दिया था। उनकी विशेष अनुमति याचिका

* भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित *भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन, 2017*

के विचारण के दौरान उच्चतम न्यायालय[@] ने दिनांक 7 मई, 1987 के अपने अंतरिम आदेश में यह निर्णय दिया कि यदि इस मामले की सुनवाई से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निरर्हित सदस्य मतदान में उस प्रकार भाग लेने और अपना मत देने के हकदार होंगे जैसे कि वे निरर्ह न हुए हों। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय ने 22 जून 1987 के आदेश के द्वारा यह निर्णय दिया कि मतदान में भाग लेने में अभ्यर्थियों के नामांकनों का प्रस्ताव और समर्थन करना शामिल है। इन सदस्यों द्वारा डाले गये मतों पर अलग से निशान लगाया जाना चाहिए और गिनती करने के बाद मामले के अंतिम निपटान तक अलग से रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी इंगित किया कि मामले की सुनवाई के समय यथावश्यक ऐसे अन्य निदेश लिए जा सकते हैं।

उपर्युक्त निदेशों के अनुसरण में, संबंधित विधान सभा के 22 सदस्यों को निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची में शामिल किया गया था।

उच्चतम न्यायालय के निदेशों को लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अर्थात् पंजाब विधान सभा के सचिव द्वारा पालन किये जाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की:—

(एक) उपरोक्त 22 सदस्यों को जारी किए गए प्रत्येक मत पत्र अथवा उसके निवारक निरोध में होने के आधार पर उनमें से किसी को जारी किये गये डाक मत पत्र और उसके प्रतिपूर्ण के पृष्ठ भाग को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई रबड़ की मुहर से स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए और उसमें यह लिखा हो: ''उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत मत देने की अनुमति दी गई'';

(दो) उपर्युक्त 22 सदस्यों को मत पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ चंडीगढ़ में निर्वाचकों के उपयोग के लिए भेजे गए अंतिम 25 मत पत्रों के एक पैकेट को अलग रखा जाएगा;

(तीन) संबंधित 22 सदस्यों को मत पत्र जारी करने के लिए अतिरिक्त मतदान ऑफिसर तैनात किया जाएगा। उसे पंजाब विधान सभा के सदस्यों की सूची प्रदान की जाएगी;

(चार) अतिरिक्त मतदान ऑफिसर को अन्य मतदान ऑफिसरों और मतदान एजेंटों के निकट बिठाया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मतदान एजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता न पड़े;

(पांच) 22 निरर्हित सदस्यों के लिए मत पत्र जारी करने और उन पर निशान लगाने और उन्हें मत पेटी में डालने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि अन्य सदस्यों के लिए है; और

(छह) मतदान समाप्त हो जाने के बाद उपर्युक्त अतिरिक्त मतदान ऑफिसर को प्रदान की गई निर्वाचकों की सूची की निशान लगी प्रति, उपर्युक्त सदस्यों को जारी किए गए मत पत्रों के प्रतिपर्ण और उक्त अतिरिक्त मतदान ऑफिसर के पास अप्रयुक्त मत पत्रों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अलग पैकेटों में रखा जायेगा तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 21(1) के अंतर्गत विहित रीति से सील किया जायेगा और सुरक्षित रखा जायेगा और मतदान केन्द्र से संबंधित अन्य चुनाव रिकार्डों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जायेगा।

[@] सरदार प्रकाश सिंह बादल और अन्य *बनाम* भारत संघ, जे टी 1987 (2) एस सी 397

निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त आवेदन जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या पांजाब विधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गये ऐसे मतों को निर्वाचन के परिणाम निर्धारित करने और इसकी घोषणा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है, पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने तक आयोग ने न्यायालय द्वारा यह निर्देश जारी किए जाने की दशा में कि 22 निरर्हित सदस्यों द्वारा डाले गए मतों की गिनती की जानी चाहिए, मतों की गिनती के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की—

(एक) जब पंजाब विधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गये मत पत्रों वाली मत पेटी ली जाए तो मत पेटी में पाए गए मतों की संख्या का डाले गए मतों की संख्या से मिलान किया जाए।

(दो) तदुपरांत, मोड़े गए पत्रों को इस तरीके से खोला जाएगा कि उन पर दर्शाई गई प्राथमिकताएं दिखाई न दें। इस प्रयोजनार्थ, खोले गए मत पत्र को उलट कर देखा जाना चाहिए।

(तीन) तदुपरांत, खोले गए मत पत्रों की विस्तृत संवीक्षा की जाएगी। संवीक्षा दो चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में मत पत्रों की यथार्थता की पुष्टि उनके पृष्ठ भाग पर दिए गए मामले के संदर्भ के साथ की जाएगी परन्तु उन पर लगाये निशान को न तो देखा जाएगा और न ही उसकी संवीक्षा की जाएगी। दूसरे चरण में सभी मत पत्रों को बंडल के रूप में एक साथ उलट कर रखा जायेगा और तत्पश्चात् विस्तृत संवीक्षा की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को भी इसका उलटा भाग दिखाई न दे और न ही कोई इसे देख सके। तदुपरांत, विहित रीति से मतों की गिनती शुरू की जायेगी।

(चार) गिनती समाप्त होने के पश्चात् उपर्युक्त सदस्यों द्वारा डाले गए मत पत्रों को शेष मत पत्रों से अलग रखना होगा चूंकि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के तहत इन्हें अलग से रखा जाना अपेक्षित है। इस प्रयोजनार्थ, पंजाब विधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गए मत पत्रों के केवल पृष्ठ भाग की, जिन्हें गिनती के समय अभ्यर्थी-वार अलग पैकेटों में रखा गया हो, संवीक्षा की जाए और वे मत पत्र जिनके पृष्ठ भाग पर उपर्युक्त रबड़ की मुहर का निशान लगा हुआ हो, को शेष मत पत्रों से अलग किया जाये और अलग रखा जाए। ऐसे सभी मत पत्रों को एक अलग सीलबंद पैकेट में रखा जाए।

तथापि, यदि उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि 22 सदस्यों के मत पत्रों की गिनती न की जाए तो इन मत पत्रों के पृष्ठ भाग पर लगी रबड़ की मुहर के निशानों को देखकर इन्हें अलग कर लिया जायेगा। तथापि, इन्हें न तो खोला जाएगा और न ही उन पर दर्शाई गई प्राथमिकताओं को देखा जाएगा और न ही इसकी संवीक्षा की जाएगी।

तथापि, उच्चतम न्यायालय ने 14 जुलाई, 1987 को आदेश दिया कि सदस्यों द्वारा डाले गए मतों की गिनती की जानी चाहिए। परन्तु गिनती के पश्चात् इन्हें अलग से रखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति 15 जुलाई, 1987 को रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी गयी थी।

*उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाना परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशों पर रोक लगाया जाना**

1987 में हुए नौवें राष्ट्रपतीय निर्वाचन की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि निर्वाचकगण के पांच सदस्य—आंध्र प्रदेश विधान सभा के दो और राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब विधान सभा

*भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन, 2017

प्रत्येक के एक-एक सदस्य अपना मत डालने के हकदार नहीं थे चूंकि संबंधित उच्च न्यायालयों ने उनके चुनावों को शून्य घोषित कर दिया था परन्तु उच्च न्यायालयों के आदेशों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

विधान सभा भंग होने के कारण निर्वाचकगण के सदस्यों में हुई रिक्ति

संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। (*अनुच्छेद* 71)

24 अगस्त, 1974 को राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने पर रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पर प्रभाव डालने वाले संवैधानिक महत्व के कतिपय प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए राष्ट्रपति ने 30 अप्रैल, 1974 को संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के अन्तर्गत एक उल्लेख* किया था। यह उल्लेख इस मूल प्रश्न के संबंध में किया गया था कि क्या राष्ट्रपति की पदावधि के समाप्त हो जाने से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, इस तथ्य के होते हुए कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी गई थी, पदावधि के समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए।

न्यायालय ने अपनी राय दी कि राष्ट्रपति की पदावधि निर्धारित है। पदावधि समाप्त हो जाने से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि के समाप्त हो जाने से पहले किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 54 में उल्लिखित निर्वाचकगण के सदस्यों में संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य शामिल हैं। अनुच्छेद 54 के सार के साथ-साथ इसका कार्यक्षेत्र मात्र राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचकों हेतु अपेक्षित अर्हताएं विहित करना है। अनुच्छेद 54 में उल्लिखित निर्वाचकगण विधान मंडलों से स्वतंत्र हैं। किसी भी विधान मंडल की इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ निर्वाचकगण की तुलना में कोई अलग पहचान नहीं है। विधान सभा के भंग होने से तात्पर्य है कि भंग विधान सभा के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। किसी राज्य की भंग विधान सभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचकगण, जिसमें संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, के सदस्य नहीं रहते हैं और इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने के हकदार नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि गुजरात विधान सभा अनुच्छेद 174 के तहत भंग कर दी गयी थी। भंग किये जाने के परिणामस्वरूप उस राज्य में विधान सभा के निर्वाचित सदस्य नहीं रहे। यह विषय या तो राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर चुनाव रोकने अथवा करवाने अथवा यह सुझाव देने कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव राज्य की विधान सभा, जिसकी विधान सभा भंग थी, के चुनाव के बाद हो सकता है, का आधार नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने राय व्यक्त की कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे निर्वाचन के समय किसी राज्य की विधान सभा भंग थी, राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए।

---

*राष्ट्रपतीय निर्वाचन 1974, एआईआर 1974 एससी 1682 के संदर्भ में।

निर्वाचन की पद्धति और मतों का मूल्य

(क) राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 55 में निर्दिष्ट किया गया है कि जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है, उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आये;

(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं हैं तो उपर्युक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा;

(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी, जो उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आये, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायेगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी।

राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

मतों के मूल्य की गणना के लिए संविधान (चौरासीवां) संशोधन अधिनियम, 2001 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए राज्यों की जनसंख्या से 1971 की जनगणना में यथा निश्चित जनसंख्या अभिप्रेत है जब तक कि वर्ष 2026 के पश्चात् की जाने वाली जनगणना के संगत आंकड़े प्रकाशित न हो जाएं।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकगण में संसद सदस्यों और प्रत्येक विधान सभा के सदस्यों के मतों का मूल्य पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है और राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के समय, निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भेजे जाने वाले मतों का मूल्य तालिका 5 और तालिका 6 में दर्शाया गया है।

तालिका: 5

राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 में संसद सदस्यों के मतों का मूल्य

- **प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य**

  निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या = लोक सभा (543)+ राज्य सभा (233) = 776

  सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य = 5,49,495

  प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य = $\frac{5,49,495}{776}$ = 708

- **संसद के 776 सदस्यों के मतों का कुल मूल्य**

  708 X 776= 5,49,408

- **राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 के लिए कुल निर्वाचक**

  विधान सभा सदस्य [4120] + संसद सदस्य [776] = 4896

- **राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 के लिए 4896 निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य**

  776 संसद सदस्यों तथा सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य = 5,49,408 + 5,49,495 = 10,98,903

तालिका: 6

राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017* में भिन्न-भिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	विधान सभा में स्थानों (निर्वाचित) की संख्या	1971 की जनगणनानुसार जनसंख्या	विधान सभा के एक सदस्य के मत का मूल्य	राज्य के कुल मतों का मूल्य
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	175	27800586	159	159 × 175 = 27825
अरुणाचल प्रदेश	60	467511	8	008 × 060 = 480
असम	126	14625152	116	116 × 126 = 14616
बिहार	243	42126236	173	173 × 243 = 42039
छत्तीसगढ़	90	11637494	129	129 × 090 = 11610
गोवा	40	795120	20	020 × 040 = 800
गुजरात	182	26697475	147	147 × 182 = 26754
हरियाणा	90	10036808	112	112 × 090 = 10080
हिमाचल प्रदेश	68	3460434	51	051 × 068 = 3468
जम्मू और कश्मीर**	87	6300000	72	072 × 087 = 6264
झारखंड	81	14227133	176	176 × 081 = 14256
कर्नाटक	224	29299014	131	131 × 224 = 29344
केरल	140	21347375	152	152 × 140 = 21280
मध्य प्रदेश	230	30016625	131	131 × 230 = 30130
महाराष्ट्र	288	50412235	175	175 × 288 = 50400
मणिपुर	60	1072753	18	018 × 060 = 1080
मेघालय	60	1011699	17	017 × 060 = 1020
मिज़ोरम	40	332390	8	008 × 040 = 320
नागालैण्ड	60	516449	9	009 × 060 = 540
ओडिशा	147	21944615	149	149 × 147 = 21903
पंजाब	117	13551060	116	116 × 117 = 13572

*भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

**संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954

1	2	3	4	5
राजस्थान	200	25765806	129	129 × 200 = 25800
सिक्किम	32	209843	7	007 × 032 = 224
तमिलनाडु	234	41199168	176	176 × 234 = 41184
तेलंगाना	119	15702122	132	132 × 119 = 15708
त्रिपुरा	60	1556342	26	026 × 060 = 1560
उत्तराखंड	70	4491239	64	064 × 070 = 4480
उत्तर प्रदेश	403	83849905	208	208 × 403 = 83824
पश्चिम बंगाल	294	44312011	151	151 × 294 = 44394
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	70	4065698	58	058 × 070 = 4060
पुडुचेरी	30	471707	16	016 × 030 = 480
कुल	4120	54,93,02,005		= 5,49,495

(ख) उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 66(1) में उपबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, नामनिर्दिष्ट सदस्यों सहित से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से इस मामले में भिन्न है कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचकगण का भाग नहीं होते।

निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है?

संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिर्णय अंतिम होगा। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय की तिथि को या उसके पहले उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, जैसा भी मामला हो, के पद से संबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निर्वहन में किए गए कार्य उस विनिर्णय के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। इस संविधान के प्रावधानों के अध्यधीन, संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी मामले का विनियमन कानून द्वारा कर सकेगी। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति का निर्वाचन उसके निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण के सदस्यों की किसी भी कारण से उत्पन्न किसी रिक्ति के विद्यमान होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं ठहराया जा सकेगा।

निर्वाचन याचिका राष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में, एक उम्मीदवार या बीस या अधिक निर्वाचकों द्वारा सम्मिलित होकर और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में, एक उम्मीदवार या दस या अधिक निर्वाचकों द्वारा सम्मिलित रूप से पेश किया जाना चाहिए और धारा 12 (राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन

अधिनियम, 1952 की) के तहत निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के नाम के साथ घोषणा के प्रकाशन की तिथि के बाद किसी समय पेश की जा सकेगी, परंतु इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के बाद नहीं। इन प्रावधानों के अध्यधीन, उच्चतम न्यायालय , संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत ऐसी निर्वाचन याचिकाओं के प्रारूप, विधि और तत्संबंधित प्रक्रियाओं को विनियमित कर सकेगा।

तीन. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य*

1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के लिए मतदान की पद्धति क्या है?

उत्तर: भारत के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है और ऐसे निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं।

2. एकल संक्रमणीय मत पद्धति किस प्रकार कार्य करती है?

उत्तर: एकल संक्रमणीय मत (एसटीवी) एक ऐसी मतदान पद्धति है जिसे श्रेणीबद्ध मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचक (मतदाता) का बहुल श्रेणी अधिमान सहित एक मत होता है। निर्वाचक मत पत्र पर मुद्रित अभ्यर्थियों के नामों के सामने समुचित अंक में अपनी अधिमानता अंकित कर सकता है। आरंभ में मत, सर्वोच्च अधिमानता प्राप्त अभ्यर्थी को आबंटित किया जाता है, परंतु अभ्यर्थियों के निर्वाचन अथवा निष्कासन के आधार पर प्रत्येक मत की आगे अनेक बार गणना की जा सकती है। निर्वाचित अभ्यर्थियों और सबसे कम मत पाने वाले अभ्यर्थियों के अधिशेष मतों के पुन: वितरण/अंतरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अपेक्षित संख्या में सदस्यों का चयन नहीं हो जाता (जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के मामले में एक-एक है) अथवा निर्वाचित होने के लिए आवश्यक मतों का कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। चूंकि, असफल अभ्यर्थियों को प्राप्त मत तथा सफल अभ्यर्थियों को प्राप्त अधिशेष मतों को मतदाता द्वारा चयनित अगले अभ्यर्थियों को अंतरित कर दिया जाता है, एकल संक्रमणीय मत (एसटीवी) के द्वारा व्यर्थ मतों को कम से कम किया जाता है।

3. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन में मतों के अभिलेखन की रीति/प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, प्रत्येक निर्वाचक निर्वाचन में भाग ले रहे अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर अधिमानताएं अंकित कर सकता है। निर्वाचक द्वारा अभ्यर्थियों हेतु ये अधिमानताएं, मत पत्र की कॉलम संख्या 2 में दिए गए स्थान में अभ्यर्थियों के नामों के सामने, 1,2,3,4,5 आदि अंक चिह्नित करके ही दी जानी चाहिए। अधिमानता, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप अथवा किसी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले रूप अथवा रोमन रूप में चिह्नित की जा सकती है परंतु, अधिमानता, एक, दो या प्रथम अधिमानता, द्वितीय अधिमानता आदि जैसे शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती।

4. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी निर्वाचक के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिमानता अंकित करना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन में किसी मतपत्र के विधिमान्य होने के लिए केवल प्रथम अधिमानता अंकित करना अनिवार्य है। अन्य अधिमानताओं को अंकित करना वैकल्पिक है।

---

*स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग।

निर्वाचक अधिमानता क्रम में अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे अधिमानताएं अंकित कर सकता है। तथापि, किसी भी मतपत्र को केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं माना जाएगा कि उसमें ऐसी अधिमानताएं अंकित नहीं की गई हैं।

5. क्या प्रत्येक निर्वाचक के मत का मूल्य एक समान होता है?

उत्तर: राष्ट्रपति के निर्वाचन में, प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य एक समान होता है। तथापि, विधान सभा के सदस्यों के मामले में भिन्न-भिन्न राज्यों के आधार पर मतों का मूल्य अलग-अलग होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक मत का मूल्य एक समान अर्थात् 1 (एक) होता है।

6. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन में उपयोग के लिए मुद्रित मत पत्रों हेतु किन विनिर्देशों का पालन किया जाता है?

उत्तर: राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में संसद सदस्यों हेतु मुद्रित मतपत्रों का रंग राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के उपयोगार्थ मुद्रित मतपत्रों के रंग से भिन्न होता है। मतपत्र में दो कॉलम होते हैं— पहले कॉलम में अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होता है जबकि दूसरा कॉलम मतदाता द्वारा अधिमानता क्रम अंकित करने के लिए होता है। मत पत्र में कोई चुनाव चिह्न मुद्रित नहीं होता है।

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में मतपत्र केवल एक रंग में ही मुद्रित होते हैं क्योंकि निर्वाचकगण में केवल संसद सदस्य (नामनिर्देशित सदस्यों सहित) होते हैं। मतपत्र दो कॉलमों के साथ मुद्रित होते हैं-पहले कॉलम में अभ्यर्थियों के नाम दिए जाते हैं और दूसरा कॉलम निर्वाचक द्वारा अधिमानता क्रम अंकित करने के लिए होता है। मतपत्र पर कोई चुनाव चिह्न मुद्रित नहीं होता है।

7. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में दलबदल रोधी कानून के प्रावधान लागू होते हैं?

उत्तर: नहीं, दोनों मामलों में, निर्वाचकगण के सदस्य अपने विवेक/पसंद/इच्छा से मतदान कर सकते हैं और वे किसी दल के सचेतक (व्हिप) से बंधे नहीं होते हैं। यह एक गुप्त मतदान होता है।

8. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान कर सकता है?

उत्तर: नहीं। निर्वाचक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान नहीं कर सकता।

9. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई नि:शक्त अथवा निरक्षर निर्वाचक अपना मतदान करने के लिए किसी साथी की सहायता ले सकता है?

उत्तर: नहीं। संसद और विधान सभा चुनावों की तरह कोई निर्वाचक किसी साथी की सहायता नहीं ले सकता उसे अपना मतदान करने के लिए पीठासीन अधिकारी की सहायता लेनी चाहिए।

10. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध कोई निर्वाचक किस प्रकार अपना मतदान करेगा?

उत्तर: निवारक निरोध के अंतर्गत रखा गया कोई निर्वाचक डाक मत पत्र के माध्यम से अपना मतदान कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, निर्वाचन आयोग, पहचान की घोषणा और हस्ताक्षरों के सत्यापन

संबंधी प्रपत्र और इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए लिफाफे तथा जिस कारावास में निर्वाचक को निरुद्ध किया गया है वहां के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश पत्र के साथ समुचित मत पत्र भेजता है। निर्वाचन के दिन निर्वाचक द्वारा मतदान किए जाने के बाद कारावास प्राधिकारी पंजीकृत डाक से अथवा विशेष संदेशवाहक के माध्यम से अन्य पत्रों के साथ मतपत्र भेज देते हैं।

11. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सफल अभ्यर्थियों का निर्वाचन साधारण बहुमत से अथवा मतों का एक विशेष कोटा प्राप्त करने के आधार पर किया जाता है?

उत्तर: चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है, अत:, प्रत्येक निर्वाचक निर्वाचन में भाग ले रहे अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर अधिमानताएं अंकित कर सकता है। प्रत्येक मामले में सफल अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किए जाने हेतु मतों का एक अपेक्षित कोटा, अर्थात् कुल वैध मतदान का 50 प्रतिशत +1 मत प्राप्त करना होता है।

12. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी को कुल कितनी जमानत राशि जमा करानी होती है? किस स्थिति में अभ्यर्थी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है?

उत्तर: प्रत्येक मामले में, जमानत राशि 15,000/– रुपये है जिसे या तो नकद रूप में रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है अथवा नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकारी खजाने में जमा की गई धनराशि को दर्शाने वाली रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए।

यदि, अभ्यर्थी निर्वाचित न हुआ हो और उसे प्राप्त वैध मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी के सफल चुनाव के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छठे भाग से अधिक न हो तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। अन्य मामलों में जमानत राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जाएगी।

चार. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उसके अधीन नियम

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 समय-समय पर यथासंशोधित, में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया और पद्धति सविस्तार दी गई है जिसका आरंभ निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति से होता है।

रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग ऑफिसर, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है, नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने के साथ होता है (धारा 3)। इस निर्वाचन के संचालन हेतु सुस्थापित परम्परानुसार, अध्यक्ष लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा की स्वीकृति से यथास्थिति, महासचिव, लोक सभा अथवा महासचिव, राज्य सभा को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2012 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए राज्य सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। इसलिए 2017 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। केन्द्र में एक अथवा अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जा सकते हैं; उसके नाम का सुझाव यथास्थिति, अध्यक्ष, लोक सभा/सभापति, राज्य सभा की स्वीकृति से रिटर्निंग ऑफिसर देता है। सभी राज्यों की विधान सभाओं के सचिव सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किये जाते हैं क्योंकि राज्य विधान सभाओं के सदस्य प्राय: अपने संबंधित राज्य की राजधानी में मतदान करते हैं। निर्वाचक गण का प्रत्येक सदस्य नई दिल्ली अथवा राज्य की राजधानी में से किसी भी एक स्थान पर मतदान कर सकता है। प्रत्येक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर के सब कृत्यों या उनमें से किसी के पालन के लिये सक्षम होता है। [धारा 3(2)]

(ख) उपराष्ट्रपति

उपर्युक्त उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति पर भी लागू होते हैं। वर्ष 2012 में हुए निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर थे तथा लोक सभा सचिवालय के दो अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2017 में होने वाले उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन जिसके लिए अभी अधिसूचना जारी की जानी है, में राज्य सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा।

निर्वाचन की अधिसूचना

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु अधिसूचना पदावरोही राष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व के साठवें दिन को अथवा उसके पश्चात् यथाशीघ्र सुविधाजनक दिन को जारी करता है।

तारीखें ऐसे नियत की जाएंगी कि निर्वाचन ऐसे समय में पूरा हो जाए कि तद्द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदग्रहण पदावरोही राष्ट्रपति की पदावधि के अवसान के अगले दिन को कर सके। [धारा 4(3)]

राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने अथवा अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्ति के भरे जाने के लिए निर्वाचन की दशा में आयोग अधिसूचना ऐसी रिक्ति के होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र जारी करता है।

निर्वाचन की अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों के संबंध में घोषणा समाविष्ट होती है:—

(एक) नामांकन करने की अन्तिम तारीख;

(दो) नामांकन की संवीक्षा की तारीख;

(तीन) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख; और

(चार) मतदान की तारीख, यदि आवश्यक हो।

यदि नामांकन करने या नामांकन की संवीक्षा करने या अभ्यर्थिता वापस लेने की किसी तारीख को सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है; तो आगामी कार्यदिवस को, जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त तारीख माना जाता है। [धारा 4(1)]

(ख) उपराष्ट्रपति

अधिनियम की धारा 4 उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी करने पर भी लागू होती है।

निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के संबंध में अधिसूचना, पदावरोही उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व के साठवें दिन को या उसके पश्चात् सुविधापूर्वक जितनी शीघ्र निकाली जा सके, जारी करता है। तारीखें ऐसे नियत की जाएंगी कि निर्वाचन ऐसे समय में पूरा हो जाए कि तद्द्वारा निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण पदावरोही उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान के अगले दिन को कर सके। [धारा 4(3)]

निर्वाचन की लोक सूचना

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने वाली अधिसूचना जारी किये जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर आशयित निर्वाचन की निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट-एक) में इस आशय की लोक सूचना जारी करता है कि:—

(एक) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को संसद भवन, नई दिल्ली के अभिहित कमरे में किसी दिन 11 बजे म॰पू॰ से 3 बजे म॰पू॰ (लोक अवकाश के दिन से भिन्न) किंतु निर्वाचन आयोग द्वारा नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए यथा अधिसूचित अंतिम तारीख के बाद नहीं, परिदत्त किये जाने चाहिये;

(दो) प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की, जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति होगी;

(तीन) हर अभ्यर्थी केवल 15,000 रुपये* की राशि जमा करेगा या जमा करवायेगा। यह राशि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और परवर्ती मामले में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामांकन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(चार) नामांकन पत्रों के प्ररूप अभिहित कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(पांच) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किये गये नामांकन पत्रों से भिन्न नामांकन पत्रों की संवीक्षा संसद भवन, नई दिल्ली में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर उक्त कार्यालय में की जायेगी;

(छह) अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित अंतिम तारीख को तीन बजे अपराह्न से पहले परिदत्त की जा सकेगी;

(सात) निर्वाचन लड़े जाने की दशा की, मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की गई तारीख को निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गये घंटों के बीच इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में होगा।

लोक सूचना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसी दिन जारी की जाती है जिस दिन निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कार्यक्रम संबंधी अधिसूचना जारी करता है तथा यह भारत के राजपत्र तथा सभी राज्यों के राजपत्रों के असाधारण अंकों में निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भाषाओं में उसी दिन प्रकाशित की जाती है। लोक सूचना की प्रतियां आकाशवाणी, दूरदर्शन, लो॰स॰ टी॰वी॰ और रा॰स॰ टी॰वी॰ तथा विभिन्न समाचार एजेंसियों को प्रकाशन, उद्घोषणा एवं प्रसारण के लिए भेजी जाती हैं।

लोक सूचना की प्रतियां लोक सभा और राज्य सभा के सभी सदस्यों को उनके संबंधित सचिवालयों के जरिए उसी दिन परिचालित की जाती हैं। लोक सूचना के जारी हो जाने पर, देश के सभी भागों से नामांकन पत्रों के लिए अनुरोध मिलने लगते हैं। इन अनुरोधों को तत्परता से पूरा किया जाता है। जिन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र परिदत्त किये जाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिये व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से एक रसीद ली जाती है।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

---

*राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत जमानत राशि को 2,500 रु॰ से बढ़ा कर 15,000 रु॰ कर दिया गया।

नामांकन पत्र

(क) राष्ट्रपति

अधिनियम की धारा 5क से 5घ और नियमों का नियम 4 नामांकन पत्रों के बारे में हैं। नामांकन पत्रों के प्ररूप काफी समय पूर्व अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं में मुद्रित किये जाते हैं। नामांकन पत्र विहित प्ररूप (परिशिष्ट-दो) में भरा जाना चाहिए जिस पर नामांकन के लिए अनुमति देते हुए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे तथा प्रस्थापकों के रूप में कम-से-कम पचास* निर्वाचकों के और समर्थकों के रूप में कम-से-कम पचास* निर्वाचकों के भी हस्ताक्षर होंगे। कोई निर्वाचक उसी निर्वाचन में, चाहे प्रस्थापक के रूप में या समर्थक के रूप में, एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और यदि वह एक से अधिक नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है, तो प्रथम परिदत्त नामांकन पत्र से भिन्न किसी भी नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर अप्रवर्तनीय होंगे।

नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर—

(क) उसमें नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख और समय का चयन अपने हस्तलेख से प्रमाणित करेगा तथा उस पर उसका क्रम संख्यांक दर्ज करेगा;

(ख) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा; तथा

(ग) उक्त खंड (क) के अधीन यथाप्रमाणित और संख्यांकित नामांकन पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवायेगा। (धारा 5घ)

यदि कोई अभ्यर्थी नामांकन पत्र भरते समय 15,000/- रुपये रिटर्निंग ऑफिसर के पास नकद जमा कराता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसे इसकी रसीद दी जाएगी।

किसी एक अभ्यर्थी को एक ही निर्वाचन के लिये एक से अधिक नामांकन पत्रों द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जा सकता है। तथापि, किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। [धारा 5ख (6), परंतुक]

नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त कोई नामांकन पत्र या ऐसा नामांकन पत्र जिसके साथ निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न न हो, नामंजूर कर दिया जायेगा और ऐसी नामंजूरी से संबंधित एक संक्षिप्त टिप्पण उस नामांकन पत्र पर ही अभिलिखित किया जायेगा। [धारा 5ख (4)], ऐसे नामंजूर नामांकन पत्रों को संवीक्षा प्रक्रम में नहीं लिया जायेगा।

प्रेस कर्मी रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के बाहर रखे सूचना-पट्ट, जिस पर सभी नामांकन पत्रों की प्रतियां लगी होंगी, से दाखिल किये गये नामांकन पत्रों के बारे में जानकारी नोट कर सकेंगे।

(ख) उपराष्ट्रपति

उपरोक्त उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे—

(क) नामांकन पत्र निर्धारित प्ररूप में पूरी तरह भरे हुए होने चाहिए। (परिशिष्ट तीन) (नियम 4)

---

* राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत प्रस्थापकों और समर्थकों की संख्या को दस से बढ़ाकर पचास कर दिया गया।

(ख) नामांकन पत्र पर नामांकन से सहमत होने की स्वीकृति के रूप में अभ्यर्थी के और कम-से-कम 20* निर्वाचकों के प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम 20* निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर होने चाहिएं। [धारा 5ख (1) (ख)]

नामांकन पत्रों की संवीक्षा

(क) राष्ट्रपति

दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की संवीक्षा इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्थापक या एक समर्थक तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से सम्यक्त: प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति संवीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें सब नामांकन पत्रों की, जो धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर नहीं कर दिये गये हैं, परीक्षा करने के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा। (धारा 5ङ) संवीक्षा के लिये नियत तारीख को उस नामांकन पत्र की संवीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा, जो इस आधार पर पहले ही नामंजूर किया जा चुका है कि वह नियत अंतिम तारीख को अपराह्न तीन बजे से पहले प्राप्त नहीं हुआ था या उसके साथ निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई थी। [धारा 5ङ (2)]

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा करते समय ध्यान में रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं:—

(एक) नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्थापक या एक समर्थक तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से सम्यक्त: प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति उपस्थित रहने का हकदार है, किंतु अन्य कोई व्यक्ति नहीं।
[धारा 5ङ (1)]

(दो) अभ्यर्थी और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि सब अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की परीक्षा करने के लिये सब उचित सुविधाओं के हकदार हैं। [धारा 5ङ (1)]

(तीन) नामांकन की संवीक्षा के लिये नियत तारीख को उन नामांकन पत्रों की संवीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा, जो धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन पहले ही नामंजूर कर दिये गये हैं। [धारा 5ङ (2)]

(चार) नामांकन पत्र विहित प्ररूप में भरा गया है और उस पर अभ्यर्थी के नामांकन की अनुमति देते हुए हस्ताक्षर हैं। [धारा 5ख (1)]

(पांच) कम से कम पचास निर्वाचक प्रस्थापक के रूप में और कम से कम पचास निर्वाचक समर्थक के रूप में हैं। [धारा 5ख (1) (क)]

(छह) नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की, जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है। [धारा 5ख (2)], निर्वाचक नामावली में दी गई सूचना के अनुसार अभ्यर्थी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

---

*राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1997 के द्वारा प्रस्थापकों और समर्थकों की संख्या को पांच से बढ़ाकर बीस कर दिया गया।

(सात) किसी प्रस्थापक या समर्थक ने पहले परिदत्त किसी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। यदि उसने ऐसे हस्ताक्षर किये हैं, तो बाद में परिदत्त नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर अप्रवर्तनीय होंगे। [धारा 5ख (5)]

(आठ) अभ्यर्थी ने प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 15,000 रुपये की राशि जमा कर दी है। (यदि किसी अभ्यर्थी के लिये एक से अधिक नामांकन पत्र हैं, तो यह राशि एक बार ही जमा करानी होगी) [धारा 5ग (1)]

रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन किए पत्रों की परीक्षा करेगा और ऐसे सब आक्षेपों का विनिश्चय करेगा, जो किसी नामांकन पत्र पर किए जायें तथा, या तो किसी ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी किसी संक्षिप्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नामांकन को निम्नलिखित आधारों में से किसी पर नामंजूर कर सकेगा:—

(क) कि नामांकन की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख को अभ्यर्थी संविधान के अधीन, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। (किसी अभ्यर्थी की आयु का निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति में आयु सम्बन्धी प्रविष्टि से सत्यापन किया जा सकता है।); अथवा

(ख) कि प्रस्थापकों या समर्थकों में से कोई धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हित नहीं है –(प्रस्थापक या समर्थक निर्वाचक है या नहीं, इसका सत्यापन निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई निर्वाचकों की सूची से किया जाएगा।); अथवा

(ग) कि नामांकन पत्र पर अपेक्षित संख्या में उनके प्रस्थापकों या समर्थकों ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं; अथवा

(घ) कि अभ्यर्थी के या प्रस्थापकों अथवा समर्थकों में से किसी के हस्ताक्षर असली नहीं हैं या कपट द्वारा लिए गए हैं; अथवा

(ङ) कि धारा 5ख या धारा 5ग के उपबंधों में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है (डाक से प्राप्त नामनिर्देशन इस आधार पर नामंजूर किया जाएगा।) [धारा 5(ङ)(3)]

रिटर्निंग ऑफिसर किसी नामांकन पत्र को किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर नामंजूर नहीं करेगा, जो महत्वपूर्ण नहीं है। [धारा 5 (ङ) (5)]

रिटर्निंग ऑफिसर धारा (4) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्धारित तारीख पर जांच करेगा और केवल ऐसी कार्यवाहियों में व्यवधान डाले जाने या दंगों या खुली हिंसा के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने या उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण कार्यवाही को स्थगित नहीं करेगा। [धारा 5 (ङ) (6)]

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति किए जाने पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को उस दिन के बाद नहीं अपितु जांच के लिए तय तारीख के बाद वाले दिन खण्डन करने की अनुमति देगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिस दिन के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है उस दिन अपना निर्णय रिकॉर्ड करेगा। [धारा 5 (ङ) (6)]

रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या नामंजूर करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामांकन पत्र नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसी नामंजूरी के कारणों का एक संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा। [धारा 5 (ङ) (7)]

(ख) उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए भी उपरोक्त प्रावधान इस परिवर्तन के साथ लागू होंगे कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के नामांकन पत्र की जांच करते समय निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि एक वैध नामांकन पत्र के लिए कम से कम बीस प्रस्थापक हों और कम से कम बीस समर्थक हों। [धारा 5ख (1)(ख)]

अभ्यर्थिता वापस लेना

(क) राष्ट्रपति

कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता विहित प्ररूप में (परिशिष्ट–चार) और अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा जो रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से ऐसे किसी भी प्रस्थापक या समर्थक द्वारा, जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, इस प्रयोजन के लिए नियत समय से पहले परिदत्त कर दी गई हो। [धारा 6 (1)] जिस व्यक्ति ने अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दी है, उसे उस सूचना को रद्द करने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा। [धारा 6 (2)]

रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के असली होने और उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में अपना समाधान हो जाने पर सूचना को अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवायेगा। [धारा 6 (3) और नियम (5)]

जिस कालावधि के अन्दर अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती है, उसके अवसान के पश्चात् यदि—

(एक) केवल एक अभ्यर्थी है, जो विधिमान्य रूप में नामांकित किया गया है और जिसने विनिर्दिष्ट रीति में और समय के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, तो रिटर्निंग ऑफिसर तत्क्षण यह घोषणा कर देगा कि ऐसा अभ्यर्थी राष्ट्रपति के पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

(दो) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या, जो सम्यक् रूप से नामांकित किये गये हैं किन्तु जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वैसे वापस नहीं ली है, एक से अधिक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर एक सूची (परिशिष्ट–पांच) तैयार करेगा, जिसमें नामांकन पत्रों में दिए गए रूप में वर्णक्रम से अभ्यर्थियों के नाम और उनके पते, अन्तर्विष्ट होंगे, तथा उसे भारत के राजपत्र में तथा सभी राज्य सरकारों के राजपत्रों में ऐसी भाषाओं में, जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेश दे, प्रकाशित करायेगा। इस सूची की एक प्रति उनके कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जायेगी।

(तीन) विधिवत् रूप से नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थी के नहीं रहने पर और उसके द्वारा अपना नामांकन वापस न लिये जाने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी इस तथ्य से निर्वाचन आयोग को अवगत कराएगा (धारा 8 और नियम 6) और इसके पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यवाहियां फिर से शुरू की जाएंगी और इस उद्देश्य हेतु इस निर्वाचन के संबंध में धारा 4 (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना को निर्वाचन आयोग रद्द करेगा और नए सिरे से निर्वाचन के उद्देश्य हेतु उपधारा में उल्लिखित तारीखों को तय करते हुए उपधारा के अन्तर्गत अन्य अधिसूचना जारी करेगा।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतदान से पूर्व अभ्यर्थी का निधन

(क) राष्ट्रपति

जांच के पश्चात् नामांकन पत्र के सही पाए जाने के बाद किसी अभ्यर्थी की मृत्यु की स्थिति में, रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी की मृत्यु संबंधी तथ्य की पुष्टि करने के पश्चात् निर्वाचन को रद्द कर देगा। वह निर्वाचन आयोग को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा। निर्वाचन संबंधी सभी कार्यवाहियां सभी मामलों में नए सिरे से शुरू की जाएंगी। [धारा 7]

फिर भी, ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में जिनके नामांकन निर्वाचन को रद्द करते समय वैध थे, नए नामांकन आवश्यक नहीं होंगे। [धारा 7 (पहला परन्तुक)]

निर्वाचन के पूर्व नामांकन वापसी की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना देने वाले अभ्यर्थी निर्वाचन रद्द किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी के रूप में नामांकित होने के अपात्र होंगे।

[धारा 7 (दूसरा परन्तुक)]

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

सुरक्षा प्रबन्ध

(क) राष्ट्रपति

निम्नलिखित के लिए उचित सुरक्षा प्रबंध किये जाते हैं:—

(एक) उस कमरे पर पहरा रखना, जिसमें नामनिर्देशन पत्र और निर्वाचन संबंधी अन्य गोपनीय कागज रखे हैं;

(दो) उस स्थान पर पहरा रखना, जहां मत पेटियां और मतपत्र रखे हैं;

(तीन) उस स्थान पर पहरा रखना, जहां मतदान होता है;

(चार) उस स्थान पर पहरा रखना, जहां मतों की गिनती होती है;

(पांच) मतपत्रों वाली मतपेटियों को हवाई अड्डे से संसद भवन लाना; और

(छह) मतपेटियां तथा अन्य कागज निर्वाचन आयोग को वापस करना।

(ख) उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु भी उपर्युक्त खण्ड (पांच) को छोड़कर ऐसी ही व्यवस्था की जाती है।

मतदान

(क) राष्ट्रपति

उस दशा में जिसमें मतदान होना है, निर्वाचन आयोग मतदान का स्थान नई दिल्ली में संसद भवन में और हर एक राज्य के उस परिसर में, जिसमें उस राज्य की विधान सभा के कामकाज के संचालन के लिये अधिवेशन होता है, नियत करेगा। आयोग मतदान के हर एक ऐसे स्थान के प्रति निर्देश से उन निर्वाचकों के समूह को, जो मत देने के हकदार होंगे और उस समय को, जिसके दौरान मतदान होगा, विनिर्दिष्ट भी करेगा और इस बारे में सम्यक् रूप से प्रचार करेगा। (नियम 7) निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचनायें जारी की जायेंगी और उन्हें भारत के राजपत्र और सभी राज्यों के राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(ख) उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन आयोग संसद भवन, नई दिल्ली में मतदान का स्थान तय करेगा और मतदान का समय तय करेगा और उस तय किए गए स्थान और घण्टों को पर्याप्त रूप से प्रसारित करेगा। (नियम 8)

संसद सदस्यों और विधायकों के लिए मतदान का स्थान

(क) राष्ट्रपति

संसद सदस्यों के लिये मतदान का स्थान संसद भवन होगा। तथापि, जो संसद सदस्य मतदान के दिन नई दिल्ली में उपस्थित न होने के कारण संसद भवन में मतदान न कर सकते हों, निर्वाचन आयोग उनकी इच्छा के अनुसार राज्यों की राजधानियों में मतदान के किसी भी स्थान में उनके मतदान की व्यवस्था करेगा।

उस संसद सदस्य को, जो किसी राज्य की राजधानी में मतदान के स्थान पर मतदान करने का इच्छुक हो, उचित समय के भीतर, अर्थात् मतदान की तिथि से लगभग दस दिन पहले उस स्थान का, जहां वह मतदान करना चाहता है, नाम बताते हुये निर्वाचन आयोग को सूचना देनी चाहिये। निर्वाचन आयोग को यह सूचना पत्र द्वारा दी जा सकती है। इस सूचना के प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा तत्काल नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर को और उस राज्य की राजधानी में, जहां सदस्य मतदान करना चाहता है, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी सूचना दी जायेगी, ताकि सदस्य द्वारा बताई गई राज्य की राजधानी में उसके मतदान की व्यवस्था की जा सके। मतदान के दिन ऐसे संसद सदस्य को, राज्य की राजधानी में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (जो राज्य की राजधानी में मतदान का संचालन करने के लिए पीठासीन ऑफिसर होगा) के समक्ष या तो अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिये अथवा स्वयं की अन्यथा इस प्रकार पहचान करानी चाहिये जिससे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संतुष्ट हो जाये, ताकि वह मतदान कर सके। ऐसे निर्वाचक के लिये अपेक्षित मतपत्र निर्वाचन आयोग द्वारा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अग्रिम रूप से दिया जायेगा।

राज्य विधान सभा के सदस्य संबंधित राज्य में केवल उस स्थान पर ही मतदान कर सकते हैं जहां मतदान की व्यवस्था की गई हो, अन्यत्र नहीं। तथापि, विधान सभा का कोई सदस्य, यदि अपरिहार्य कारणवश अन्य

स्थान पर मतदान करना चाहे, तो वह निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेकर नई दिल्ली में मतदान के स्थान पर मतदान कर सकता है। यदि राज्य की विधान सभा के किसी सदस्य को अपरिहार्य कारणवश निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में मतदान के स्थान पर मतदान करने की अनुमति दी जाती है, तो उसे या तो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिये, अथवा स्वयं की अन्यथा इस प्रकार पहचान करानी चाहिये जिससे रिटर्निंग ऑफिसर सन्तुष्ट हो जाये, ताकि वह मतदान कर सके। निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे निर्वाचक के लिये अपेक्षित मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर को अग्रिम रूप से सप्लाई कर दिया जायेगा। निर्वाचकों, अर्थात् संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों को, जिन्हें संसद भवन में मतदान करना है, उनकी निर्वाचक संख्या जानने में सहायता करने के लिये ऐसे प्रत्येक निर्वाचक को मतदान से एक दिन पहले एक पत्र जारी करके उसकी निर्वाचक संख्या सूचित की जायेगी।

(ख) उपराष्ट्रपति

चूंकि विधान सभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में शामिल नहीं होते, अत: संसद भवन के अतिरिक्त मतदान का कोई अन्य स्थान नहीं होता।

मतदान अधिकारियों की नियुक्ति

(क) राष्ट्रपति

रिटर्निंग ऑफिसर या ऐसा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मतदान के हर एक स्थान पर मतदान का संचालन करेगा। ऐसे प्रत्येक ऑफिसर को मतदान के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदान अधिकारियों को, जिन्हें वह मतदान में अपनी सहायता के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस निर्वाचन में उस निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जा चुका है या उसके लिये काम करता रहा है, नियुक्त नहीं करेगा। (नियम 9)

मतदान कार्य को निर्विघ्न रूप से चलाने के लिये संसद भवन में मतदान के स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिये नियुक्त मतदान ऑफिसर को आवश्यक अनुदेश जारी किये जायेंगे। (परिशिष्ट–छह)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतपत्र और मतपेटियों की सप्लाई

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग द्वारा संसद भवन में रिटर्निंग ऑफिसर को और राज्यों की राजधानियों में प्रत्येक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को मतपत्र और मतपेटियां सप्लाई की जायेंगी। संसद सदस्यों के लिए मुद्रित किये गये मतपत्रों का रंग विधायकों के लिये मुद्रित किये गये मतपत्रों के रंग से भिन्न होता है। निर्वाचन आयोग उन निर्वाचकों की सूची की एक अधिप्रमाणित प्रति भी सप्लाई करेगा जो संसद भवन में निर्वाचन के स्थान पर मतदान करेंगे। आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के उपयोग के लिये निर्वाचकों की सम्पूर्ण सूची की कुछ अतिरिक्त प्रतियां (5 अथवा 6) भी सप्लाई की जायेंगी।

(ख) उपराष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग द्वारा संसद भवन में रिटर्निंग ऑफिसर को मतपत्र और मतपेटियां सप्लाई की जाएंगी। निर्वाचन आयोग उन निर्वाचकों की सूची की एक अधिप्रमाणित प्रति भी सप्लाई करेगा जो संसद भवन में मतदान के स्थान पर मतदान करेंगे। आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के उपयोग हेतु निर्वाचकों की सम्पूर्ण सूची की कुछ अतिरिक्त प्रतियां (5 अथवा 6) भी सप्लाई की जायेंगी।

मतपेटियों का निरीक्षण और उन पर मुहर लगाना

(क) राष्ट्रपति

मतदान के प्रारम्भ होने के ठीक पहले पीठासीन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान के लिये उपयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुमति देगा। तब वह पेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बन्द करके मुहरबन्द करेगा कि मतपत्रों को उसमें डालने के लिये छेद खुला रहे। इस प्रयोजनार्थ मतपेटी के ढक्कन के कुंडे पर कपड़े की पट्टी लगाने के बाद पट्टी पर, कुंडे के बिल्कुल पास पीठासीन अधिकारी की मुहर लगा दी जाती है। पीठासीन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित हों, ऐसा करने की वांछा करें, तो उन्हें अपनी मुहर भी उस पर लगाने देगा। (नियम 12)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतदान के स्थान में प्रवेश

(क) राष्ट्रपति

केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही निर्वाचन के स्थान पर उपस्थित होने के हकदार होंगे:—

(एक) मतदान अधिकारी और अन्य कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवक;

(दो) अभ्यर्थी और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक प्रतिनिधि [वर्ष 1962 में हुए तृतीय राष्ट्रपतीय निर्वाचन में एक अभ्यर्थी (डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन) ने मतदान के समय अपने प्रतिनिधियों की उपस्थिति के लिये रिटर्निंग ऑफिसर को चार प्राधिकार पत्र भेजे। तब यह प्रश्न उठा कि क्या एक अभ्यर्थी मतदान में उपस्थित रहने के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह निर्णय दिया कि अभ्यर्थी मतदान के समय उपस्थित रहने के लिए चाहे एक से अधिक प्रतिनिधि प्राधिकृत करे, किन्तु एक समय पर केवल एक ही प्रतिनिधि को मतदान के स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी];

(तीन) निर्वाचक;

(चार) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति; और

(पांच) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये पीठासीन अधिकारी समय-समय पर प्रवेश करने दें। (नियम 13)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतपत्र देने की प्रक्रिया

(क) राष्ट्रपति

मतदान के स्थान में मत देने के हकदार निर्वाचकों की निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई अधिप्रमाणित सूची छह भागों में बांट दी जायेगी और संगत भाग मतपत्र जारी करने के लिए छह टेबलों पर मतदान अधिकारियों को दे दिये जायेंगे। निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व नीचे दिये गये क्रम में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा:—

(एक) निर्वाचकों की अधिप्रमाणित सूची में निर्वाचक के नाम के सामने एक सही का निशान (टिक मार्क) लगाया जायेगा;

(दो) उस सूची में यथादर्शित निर्वाचक के संख्यांक को मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज किया जायेगा। गोपनीयता बनाये रखने के लिये, मतपत्र पूर्णत: क्रमानुसार नहीं, बल्कि बेतरतीब रूप से जारी किये जायेंगे; और

(तीन) निर्वाचक को सूची में अपना नाम मतपत्र की प्राप्ति के साक्ष्य-स्वरूप हस्ताक्षरित करना होगा।

उपर्युक्त तीनों कार्यवाहियां पूरी किये जाने के बाद ही, न कि उससे पूर्व मतपत्र निर्वाचक को परिदत्त किया जायेगा। (नियम 14)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबन्ध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

नए मतपत्र कब दिये जा सकते हैं

(क) राष्ट्रपति

वह निर्वाचक, जिसने अपने मतपत्र को अनवधानता से ऐसी रीति से बरता है कि वह मतपत्र के रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, पीठासीन अधिकारी को वह मतपत्र परिदत्त करके और अपनी अनवधानता के बारे में उस ऑफिसर का समाधान करके, ऐसे परिदत्त मतपत्र के स्थान में दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और उसके प्रतिपर्ण सहित पूर्वकथित मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी ''रद्द'' शब्द अंकित करेगा। ऐसे रद्द किये गए मतपत्र इस प्रयोजन के लिये अलग रखे गए पृथक लिफाफे में रखे जायेंगे। (नियम 15)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबन्ध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतदान प्रक्रिया

(क) राष्ट्रपति

हर निर्वाचक को उतने अधिमान प्राप्त होंगे जितने अभ्यर्थी हैं, किन्तु कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा, कि ऐसे सब अधिमान चिह्नित नहीं किये गये हैं।

निर्वाचक अपना मत देने में,—

(एक) अपने मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के, जिसको वह अपने प्रथम अधिमान के लिये चुनता है, नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 लगा देगा; और

(दो) इसके अतिरिक्त अपने मतपत्र पर दूसरे अभ्यर्थियों के नामों के सामने वाले स्थानों में अधिमान-क्रम में उतने पश्चात्वर्ती अधिमान, जितने वह चाहता है, 2, 3, 4 अंक और इसी प्रकार के अन्य अंक लगाकर, चिह्नित कर सकेगा।

उपर्युक्त (एक) और (दो) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किये जा सकेंगे, किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किये जायेंगे। (नियम 17)

प्रत्येक निर्वाचक, जिसे मतपत्र दिया गया है, मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिये तत्क्षण:—

(एक) मतदान कोष्ठों में से एक में जायेगा;

(दो) उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार, अपना मत अभिलिखित करेगा;

(तीन) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाये;

(चार) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा; और

(पांच) मतदान के स्थान से बाहर चला जायेगा।

प्रत्येक निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा और जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। (नियम 18)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर लागू होते हैं। परिणाम के अवधारण के लिए दिए गए अनुदेशों से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में यह उपबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक गणना में प्रत्येक मतपत्र एक मत माना जाता है। (परिशिष्ट-सात)

निरक्षर या नि:शक्त निर्वाचक द्वारा मतदान

(क) राष्ट्रपति

यदि कोई निर्वाचक:—

(एक) निरक्षरता या अन्धेपन; अथवा

(दो) उस भाषा से, जिसमें मतपत्र मुद्रित हैं अनभिज्ञ होने के कारण; अथवा

(तीन) किसी शारीरिक या अन्य नि:शक्तता के कारण,

विहित रीति के अनुसार मतपत्र पढ़ने या उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो, तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक की इच्छाओं के अनुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करेगा। वह प्रत्येक ऐसी घटना का संक्षिप्त अभिलेख भी रखेगा, किन्तु उसमें वह रीति उपदर्शित नहीं करेगा जिससे कोई मत डाला गया है। (नियम 19)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

निवारक निरोध के अधीन निर्वाचक द्वारा मतदान

(क) राष्ट्रपति

यदि कोई निर्वाचक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध में रखा गया हो, तो वह अपना मत डाक मतपत्र द्वारा दे सकेगा। ऐसे मामले में निर्वाचन आयोग उस जेल के प्रभारी अधिकारी को समुचित मतपत्र, पहचान की घोषणा और हस्ताक्षर के अनुप्रमाणन का प्ररूप तथा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आवश्यक लिफाफे और एक अनुदेश पत्र के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजता है। मतदान की तारीख को जेल प्राधिकारी मतपत्र और अन्य आवश्यक कागज पत्र निर्वाचक को परिदत्त करते हैं, उसे अपना मत अभिलिखित करने के लिए दो घंटे से अनधिक का समय अनुज्ञात करते हैं और तदन्तर मतपत्र और अन्य कागज पत्रों को मुहरबंद लिफाफे में या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहकों द्वारा भेजते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को ये डाक मतपत्र प्राप्त होने पर इन्हें मतपेटियों के साथ रखा जाता है और एक अलग रजिस्टर में उनका लेखा-जोखा रखा जाता है। (नियम 26)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतपत्रों का लेखा

(क) राष्ट्रपति

मतदान के समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी मतपत्र लेखा विहित प्ररूप (परिशिष्ट–आठ) में तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में बन्द करेगा और उसके ऊपर ''मतपत्र लेखा'' शब्द लिखेगा। वह अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जो ऐसी इच्छा करे, मतपत्र लेखा में की गई प्रविष्टियों की शुद्ध प्रति लेने की अनुज्ञा देगा और यह अनुप्रमाणित करेगा कि वह शुद्ध प्रति है। (नियम 20)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतदान का बंद होना और मतपेटियों तथा कागज पत्रों का मुहरबंद किया जाना

(क) राष्ट्रपति

पीठासीन अधिकारी मतदान और मतदान के स्थान को, मतदान समाप्त करने के लिये नियत समय पर बन्द कर देगा और उस समय के पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने देगा, तथापि, उस स्थान के ऐसे बन्द किये जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत अभिलिखित करने के हकदार होंगे। [नियम 13(2)]

मतदान बन्द होने के बाद पीठासीन अधिकारी यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की जो उपस्थित हों, उपस्थिति में छेद तथा मतपेटी को बन्द और मुहरबंद करेगा।

[मतपेटी कपड़े के थैले में रखी जाती है और थैले का मुंह धागे से सी दिया जाता है और उस पर मुहर(रें) लगा दी जाती हैं।]

वह—

(एक) मतदान अधिकारी द्वारा चिह्नित और निर्वाचकों को मतपत्र दिये जाने के साक्ष्यस्वरूप उनके हस्ताक्षर वाली निर्वाचकों की सूची की प्रति को;

(दो) मतपत्रों के प्रतिपर्णों को;

(तीन) रद्द किये गये मतपत्रों को; और

(चार) उपयोग में न लाये गये मतपत्रों को पृथक्-पृथक् पैकेटों में बना कर रखेगा और हर एक ऐसे पैकेट को अपनी निजी मुहर और उन अभ्यर्थियों और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उस पर अपनी मुहरें लगाना चाहें, मुहरों से मुहरबंद करेगा। (नियम 21)

राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के मतों वाली मतपेटियां संबंधित राज्य के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पुलिस की समुचित अनुरक्षा में संसद भवन में लायी जायेंगी। ऐसी किसी मतपेटी को अपने अधिकार में लेने से पहले यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इसे समुचित रूप से मुहरबंद किया गया है और उस पर मुहर कायम है।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतों की गणना और परिणामों की घोषणा

(क) राष्ट्रपति

मतों की गणना नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में ऐसी तारीख को और ऐसे समय पर की जायेगी, जो निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियत करे। निर्वाचन आयोग ऐसी नियत तारीख और समय की सूचना सब अभ्यर्थियों को देगा। (नियम 27)

(ख) उपराष्ट्रपति

रिटर्निंग ऑफिसर मतों की गणना, ऐसी गणना के लिए नियत समय पर आरम्भ करता है जो सामान्यतः उसी दिन होती है, जिस दिन मतदान होता है।

गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश

(क) राष्ट्रपति

रिटर्निंग ऑफिसर,—

(एक) ऐसे व्यक्तियों के जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिये नियुक्त करें;

(दो) अभ्यर्थियों और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक समय पर एक प्रतिनिधि;

(तीन) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ सेवकों; और

(चार) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों

के सिवाय, किसी व्यक्ति को मतों की गणना के लिये नियत स्थान में नहीं रहने देगा। (नियम 28)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

(क) राष्ट्रपति

मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने के संबंध में कर्त्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा। इस उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियम 29 में आगे यह व्यवस्था है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना से पूर्व अधिनियम की धारा 22 को, जिसमें यह उपबंध किया गया है, सभी मतगणना अधिकारियों के समक्ष पूरा-पूरा पढ़कर सुनाया जायेगा। इस धारा का पाठ इस प्रकार है:—

"22(1) ऐसा हर ऑफिसर, लिपिक या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाए) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतपत्र कब अविधिमान्य होंगे

(क) राष्ट्रपति

वह मतपत्र अविधिमान्य होगा जिस पर—

(एक) अंक 1 चिह्नित नहीं है; या

(दो) अंक 1 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिह्नित है या ऐसे चिह्नित है कि उससे यह बात संदेहपूर्ण हो जाती है कि वह किस अभ्यर्थी को लागू होने के लिए आशयित है; या

(तीन) अंक 1 और कोई अन्य अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने चिह्नित है; या

(चार) कोई ऐसा चिह्न लगाया हुआ है जिससे निर्वाचक को तत्पश्चात् पहचाना जा सकता है।

मतपत्र उस दशा में भी अविधिमान्य होगा जिसमें डाक मतपत्र होते हुए उस निर्वाचक के हस्ताक्षर सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नहीं हैं। (नियम 31)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

प्रत्येक मतपेटी के खोले जाने पर प्रक्रिया

(क) राष्ट्रपति

हर एक मतपेटी के और हर एक मुहरबंद लिफाफे, यदि कोई हो, के खोले जाने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर—

(एक) उनमें से निकाले गये मतपत्रों की गणना करेगा और मतपत्र लेखा प्ररूप (*परिशिष्ट आठ*) के भाग 2 को पूरा करेगा;

(दो) मतपत्रों की संवीक्षा करेगा और उनको जो उसकी राय में वैध हैं, उनसे पृथक करेगा जो उसकी राय में अविधिमान्य हैं, पश्चात्कथित मतपत्रों पर ''नामंजूर'' शब्द और नामंजूरी का आधार पृष्ठांकित करेगा; और

(तीन) सब विधिमान्य मतपत्रों को हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के क्रम के अनुसार पार्सलों में रखेगा।

यदि किसी मतदान के स्थान में प्रयुक्त मतपेटी में ऐसे निर्वाचकों के मतपत्र हैं जिन्हें उनके अपने निवेदन पर उक्त मतदान के स्थान में मत डालने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा की गई है, तो ऐसे मतपत्र गणना और विहित प्रपत्र (*परिशिष्ट आठ*) में अभिलेखन के पश्चात् पृथक कर लिए जायेंगे और एक ही प्रवर्ग के निर्वाचकों द्वारा प्रयुक्त उसी प्रकार के अन्य मतपत्रों के साथ मिला लिये जायेंगे और उसके पश्चात् उनकी संवीक्षा की जायेगी (नियम 32)।

वर्ष 1969 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन में निर्वाचन आयोग ने अनुदेश जारी किए थे कि जिन संसद सदस्यों और विधायकों ने आयोग को सूचित करने या उसकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् उनके द्वारा मतदान के लिए निर्धारित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर मतदान किया है, तो उनके मतपत्रों की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी:—

(एक) जिन संसद सदस्यों ने निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् राज्यों की राजधानियों में मतदान किया है, इनके मतपत्रों की गणना उन संसद सदस्यों के मतपत्रों के साथ की जाएगी, जिन्होंने संसद भवन में मतदान किया है।

(दो) इसी प्रकार, विधान सभा के जिस सदस्य ने निर्वाचन आयोग की अनुमति से संसद भवन में मतदान किया है, उसके मतपत्र की गणना विधान सभा के उन सदस्यों के मतपत्रों के साथ की जानी चाहिए जिन्होंने संबंधित राज्य की राजधानी में मतदान किया है।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

रिटर्निंग ऑफिसर पहले मतपत्रों की संवीक्षा करता है और अविधिमान्य पत्रों को अलग कर देता है। विधिमान्य मतपत्रों को चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों में बांटा जाता है और विधिमान्य पत्रों को उनमें अंकित प्रथम अधिमानता के अनुसार अभ्यर्थी के लिए नियत ट्रे में रखा जाता है। सभी विधिमान्य मतपत्रों को वितरित करने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतपत्रों का जोड़ करता है।

परिणाम का अवधारण

(क) राष्ट्रपति

सब मतपेटियों और मुहरबन्द लिफाफों के खोले जाने और मतपत्रों की संवीक्षा और उनके क्रमबद्ध किए जाने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मतदान के परिणाम का अवधारण करने के लिए कार्यवाही करेगा:—

(एक) हर एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या अभिनिश्चित करेगा और उनके नाम वह संख्या आकलित कर देगा।

(दो) सब अभ्यर्थियों के नाम ऐसी आकलित संख्याओं को जोड़ेगा, जोड़ को दो से भाग देगा और यदि कोई शेष हो तो उसको गिनती में न लेकर भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या वह कोटा है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

(तीन) यदि पहली या किसी पश्चात्वर्ती गणना के अंत में किसी अभ्यर्थी के नाम आकलित मतों की कुल संख्या कोटे के बराबर या उससे अधिक है या बना रहने वाला अभ्यर्थी केवल एक है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

(चार) यदि किसी गणना के अन्त में कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता तो,—

(क) उस क्रम तक, मतों की सब से कम संख्या जिस अभ्यर्थी के नाम आकलित है उसे अपवर्जित करेगा;

(ख) उसके पार्सल और उप-पार्सलों में से सब मतपत्रों की परीक्षा करेगा , उप-पार्सलों के अनिश्शेषित पत्रों को, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए उन पर अभिलिखित अगले उपलभ्य अधिमानों के अनुसार रखेगा, हर एक उप-पार्सल के अधिमान मतों की संख्या गिनेगा और उस अभ्यर्थी के नाम आकलित करेगा जिसके लिए ऐसा अभिलिखित है, उप-पार्सल को उस अभ्यर्थी को अन्तरित कर देगा और सब निश्शेषित पत्रों का पृथक उप-पार्सल बनाएगा; और

(ग) देखेगा कि क्या बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से किसी ने, ऐसे अंतरण और उसके नाम में किए गए आकलन के पश्चात् कोटा प्राप्त कर लिया है।

(पांच) जब कोई अभ्यर्थी ऊपर (क) के अधीन अपवर्जित किया जाना है तब यदि मतों की एक ही संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम आकलित की गई है और वे मतदान में सबसे नीचे हैं तो उस अभ्यर्थी को अपवर्जित कीजिए जिसने प्रथम अधिमान मतों की सबसे कम संख्या प्राप्त की थी और यदि वह संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में भी वही थी तो लाट द्वारा विनिश्चित कीजिए कि उनमें से किसको अपवर्जित किया जाएगा।

(छह) ऊपर (ख) में निर्दिष्ट निश्शेषित पत्रों के सब उप-पार्सल अंतिम रूप से निपटाए गए के रूप में अलग रखे जाएंगे और उन पर अभिलिखित मतों को तत्पश्चात् हिसाब में नहीं लिया जाएगा। (नियमों की अनुसूची)

उदाहरण

मान लो वैध मतों की संख्या 10,000 है और क, ख, ग और घ – ये चार अभ्यर्थी हैं। हम यह मान लेते हैं कि उन्हें निम्न प्रकार से मत प्राप्त हुए हैं:—

क. 3,500
ख. 3,200
ग. 1,800
घ. 1,500

इस मामले में कोटा 10,000/2+1=5,001 होगा। इसलिए कोई भी वह अभ्यर्थी जो 5,001 मत प्राप्त करने में असफल रहा है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचित नहीं हो सकता। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम अधिमान के अनुसार 5,001 या अधिक मत प्राप्त हुए हैं, तो वह तुरन्त निर्वाचित माना जाता है और बाद के अधिमानों की गणना करना आवश्यक नहीं है। किन्तु यदि इस मामले की भांति किसी भी उम्मीदवार को यह कोटा प्राप्त नहीं हुआ है, तो बाद के अधिमानों की गणना करनी होगी। इसलिए, दूसरी गणना में (घ), जिसे प्रथम अधिमान में सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, हट जाएगा और उसके निर्वाचकों के द्वितीय अधिमान के मत उन अभ्यर्थियों में बांट दिये जायेंगे, जिनके नाम के आगे अंक 2, यदि कोई है, अंकित किया गया हो, जिन मतपत्रों पर द्वितीय अधिमान अंकित नहीं होगा, उन्हें ''निश्शेषित'' माना जाएगा।

यह प्रक्रिया तब तक दोहरायी जाएगी जब तक वांछित कोटा प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी नहीं मिल जाता अथवा अन्त में केवल एक ही अभ्यर्थी नहीं रह जाता।

(ख) उपराष्ट्रपति

प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों की गणना करने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों का जोड़ करता है। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के लिए कोटे को, कुल विधिमान्य मतों को 2 से भाग करके और भागफल में 1 जोड़कर तथा शेष यदि कोई हो तो उसे छोड़कर अवधारित किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सभी अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मतों का योग 789 है तो निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा।

$$\frac{789}{2} + 1 = 394.50 + 1[\ .50 \textbf{ को छोड़ दिया जाए }]$$

$$\textbf{कोटा } = 394 + 1 = 395$$

कोटा तय करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को यह देखना होता है कि किसी अभ्यर्थी ने उसे मिले प्रथम अधिमानता के मतों के योग के आधार पर निर्वाचित घोषित होने का कोटा प्राप्त कर लिया है।

यदि प्रथम अधिमानता मतों के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी कोटा प्राप्त नहीं करता तो रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना के दूसरे दौर की प्रक्रिया आरम्भ करता है जिसमें प्रथम अधिमानता के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अपवर्जित कर दिया जाता है और उसके मतों को शेष अभ्यर्थियों के मतपत्रों पर अंकित दूसरी अधिमानता के आधार पर उनमें वितरित कर दिया जाता है । अन्य बने रहने वाले अभ्यर्थी अपवर्जित अभ्यर्थी के मतों को एक के मूल्य पर ही प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर गणना के बाद वाले दौरों में भी सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तब तक अपवर्जित करता जाता है जब तक बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से कोई एक या तो अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता या एकल बने रहने वाले अभ्यर्थी के रूप में केवल एक ही अभ्यर्थी मैदान में शेष रह जाता है; और तब वह उसे निर्वाचित घोषित कर देता है।

परिणाम की घोषणा

(क) राष्ट्रपति

जब गणना समाप्त हो जाए और मतदान के परिणाम का अवधारण कर लिया जाए, तब रिटर्निंग ऑफिसर तत्क्षण—

(एक) उपस्थित व्यक्तियों को परिणाम बताएगा (रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाने वाली घोषणा के लिए **देखिए** परिशिष्ट नौ);

(दो) केन्द्रीय सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट भेजेगा;

(तीन) विनिर्दिष्ट फार्म में निर्वाचन परिणाम की विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा (*परिशिष्ट दस*); और

(चार) विधिमान्य मतपत्रों और नामंजूर मतपत्रों को पृथक-पृथक पैकेटों में मुहरबंद करेगा और हर एक ऐसे पैकेट पर उसकी अंतर्वस्तुओं का वर्णन अभिलिखित करेगा। (नियम 35)

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपर्युक्त (क) में उल्लिखित घोषणा तुरन्त निर्वाचन आयोग और विधि और न्याय मंत्रालय को संसूचित की जाएगी। उपर्युक्त (तीन) में उल्लिखित प्रमाणित परिणाम की विवरणी निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित की जाएगी।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतपेटियों और निर्वाचन संबंधी कागजपत्रों की वापसी

(क) राष्ट्रपति

परिणाम की घोषणा किये जाने के पश्चात् मतपेटियां तथा मुहरबंद पैकेट, जिनमें—

(एक) नामांकन पत्र (स्वीकृत तथा नामंजूर);

(दो) राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 14 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की प्रमाणिक सूची;

(तीन) निर्वाचकों को जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण;

(चार) रद्द किए गए मतपत्र;

(पांच) अप्रयुक्त मतपत्र;

(छह) विधिमान्य मतपत्र;

(सात) नामंजूर किये गये मतपत्र; और

(आठ) विनिर्दिष्ट फार्म (परिशिष्ट आठ) में मतपत्र लेखा

जैसे निर्वाचन संबंधी प्रपत्र होंगे, जिन्हें समुचित पुलिस अनुरक्षा में निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।

जब कोई अभ्यर्थी, जिसका निक्षेप कानून के अनुसार समपहृत नहीं हुआ है, जमा कराये गये निक्षेप की राशि लौटाये जाने के लिए आवेदन करता है, तो संबद्ध कागजपत्रों की जांच-पड़ताल के पश्चात् उसको आवश्यक प्राधिकार जारी किया जाएगा।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक

प्ररूप 1

(देखिए नियम 3)

भारत के राष्ट्रपति*/ उपराष्ट्रपति* पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद भरने हेतु निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अत: ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, मैं,.....एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि—

(i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को .....नई दिल्ली में उसके कार्यालय में, या, यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो ....., को उक्त कार्यालय में....., के अनुपरांत (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन पूर्वाह्न 11 बजे और अपराह्न 3 बजे के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) हर एक नामनिर्देशन-पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) हर अभ्यर्थी केवल पंद्रह हजार रुपए की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्-कथित दशा में ऐसी रसीद का जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन-पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नामनिर्देशन-पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन-पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा ..... (स्थान) पर .....(तारीख) को .....बजे की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, अधोहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में..... (तारीख) को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त की जा सकेगी;

---

*यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान, इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थान पर.....(तारीख) को.....बजे और .....बजे के बीच होगा।

स्थान .....

तारीख.....

(हस्ताक्षर).....

रिटर्निंग ऑफिसर

(पदनाम).....

परिशिष्ट दो

प्ररूप 2

(**देखिए** नियम 4)

नामनिर्देशन-पत्र

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में..... ..... (अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता) को नामनिर्देशित करते हैं।

हमने सत्यापित कर दिया है और हम घोषित करते हैं कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह .....राज्य में..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

उस निर्वाचक नामावली में उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है।

हम यह और घोषित करते हैं कि हम, इसके नीचे यथा उपदर्शित लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हम यह नामनिर्देशन करने के प्रमाणस्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं:—

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं॰	पूरा नाम	लोक सभा का निर्वाचित सदस्य है या राज्य सभा का या विधान सभा का	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (किसी संघ राज्य-क्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) जहां से निर्वाचित हुआ है	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

1	2	3	4	5	6
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					

1	2	3	4	5	6
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
*आदि					

*कम से कम पचास निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिएं।

समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं॰	पूरा नाम	लोक सभा का निर्वाचित सदस्य है या राज्य सभा का या विधान सभा का	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (किसी संघ राज्यक्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) जहां से निर्वाचित हुआ है	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

1	2	3	4	5	6
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					

1	2	3	4	5	6
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
*आदि					

*कम से कम पचास निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिएं।

मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

तारीख.....

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं॰.....

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....(नाम)/समर्थक.....(नाम) द्वारा नीचे यथा-उपदर्शित संलग्नकों, जिनका—

1.

2.

होना तात्पर्यित है, सहित परिदत्त किया गया।

तारीख..... .....

रिटर्निंग ऑफिसर

[धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय (यदि कोई हो)]

मैंने इस नामांकन-पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है:—

तारीख..... .....

रिटर्निंग ऑफिसर

नामांकन-पत्र को स्वीकार या नामंजूर करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामांकन-पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ङ के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं:—

तारीख..... .....

रिटर्निंग ऑफिसर

.....

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं॰ .....

.....(नाम) का, जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....(नाम)/समर्थक.....(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन-पत्रों से भिन्न सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा..... (तारीख) को.....(बजे).....(स्थान) पर की जाएगी।

[2. मैंने इस अभ्यर्थी के नामनिर्देशन-पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है:—]

तारीख..... .....

रिटर्निंग ऑफिसर

[ ]यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

परिशिष्ट तीन

प्ररूप 3

(**देखिए** नियम 4)

नामनिर्देशन-पत्र

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम, संसद-सदस्य होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्य जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में .... (अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता) को नामनिर्देशित करते हैं।

हमने सत्यापित कर दिया है और हम घोषित करते हैं कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह ..... राज्य में ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

उस निर्वाचक नामावली में उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है। हम इसके नीचे यथा उपदर्शित अपनी पूरी विशिष्टियां देते हैं और हम यह नामनिर्देशन करने के प्रमाणस्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं:—

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं॰	पूरा नाम	लोक सभा का सदस्य है या राज्य सभा का	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ है	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

1	2	3	4	5	6
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
*आदि					

*कम से कम बीस निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिएं।

समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं॰	पूरा नाम	लोक सभा का सदस्य है या राज्य सभा का	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ है	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
*आदि					

*कम से कम बीस निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिएं।

मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

तारीख.....

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं॰ .....

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में .....(तारीख)

को ..... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....

(नाम)/समर्थक..... (नाम) द्वारा नीचे यथा उपदर्शित संलग्नकों, जिनका—

1.

2.

होना तात्पर्यित है, सहित परिदत्त किया गया ।

तारीख ....

रिटर्निंग ऑफिसर

[धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय (यदि कोई हो)]

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है:—

तारीख ....

रिटर्निंग ऑफिसर

नामांकन-पत्र को स्वीकार या नामंजूर करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ङ के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं:—

तारीख ....

रिटर्निंग ऑफिसर

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं॰ .....

..... (नाम)

का, जो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को .....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक ..... (नाम)/समर्थक .....(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन-पत्रों से भिन्न सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा..... (तारीख) को .....(बजे) .....(स्थान) पर की जाएगी।

[2. मैंने इस अभ्यर्थी के नामनिर्देशन-पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है:—]

तारीख ....

रिटर्निंग ऑफिसर

[ ]यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

परिशिष्ट चार

प्ररूप 4

[**देखिए** नियम 5(1)]

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

सेवा में,

रिटर्निंग ऑफिसर,

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन।

मैं .....(नाम) .....(पता) उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, एतद्द्वारा यह सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं।

स्थान.....

तारीख..... .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पण:— अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना का, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 6(1) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके ऐसे प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, परिदत्त किया जाना अपेक्षित है।

परिशिष्ट पांच

प्ररूप 5

(देखिए नियम 6)

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

क्रम सं॰	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.		
2.		
3.		
4.		
आदि		

स्थान.....

तारीख..... .....

रिटर्निंग ऑफिसर

परिशिष्ट छह

मतदान अधिकारियों के लिए अनुदेश

राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतदान संसद भवन, नई दिल्ली के कमरा संख्या.....में..... को.....बजे म॰पू॰ से.....बजे.....म॰प॰ तक होगा।

2. संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य संसद भवन में इस निर्वाचन में मतदान करने के अधिकारी हैं।

3. निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए जारी की गई निर्वाचकों की सूची में प्रत्येक निर्वाचक के लिए एक क्रम संख्या दी गई है।

4. मतदान अधिकारियों के लिए कमरा संख्या.....में 6 टेबल लगाई जायेंगी। प्रत्येक टेबल के प्रभारी दो मतदान अधिकारी होंगे। वे निर्वाचकों को निम्न रूप में मत पत्र देंगे:—

टेबल	निर्वाचकों की क्रम संख्या
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

मतदान अधिकारियों के बैठने के स्थान के पीछे उक्त व्यवस्था दर्शाने वाले प्लेकार्ड लगाए जायेंगे।

5. सभी मतदान अधिकारी .....को.....बजे म॰पू॰ कमरा संख्या .....में उपस्थित हों।

6. ..... बजे म॰पू॰ मतपत्र और निर्वाचकों की अधिप्रमाणीकृत सूची का संबंधित भाग मतदान अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

7. जब कोई निर्वाचक टेबल पर आये, तो मतदान अधिकारी.....

(एक) निर्वाचकों की सूची में उसका नाम, राज्य और क्रम संख्यांक पूछेगा और निर्वाचकों की सूची से उसकी जांच करेगा;

(दो) उक्त सूची में निर्वाचकों के नाम पर बाईं ओर स्याही से सही का निशान लगायेगा;

(तीन) मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचकों की सूची में दी गई क्रम संख्या स्याही से लिखेगा;

(चार) निर्वाचकों की सूची के टिप्पणी कॉलम में निर्वाचक के नाम के सामने मतपत्र की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप स्याही से उसके हस्ताक्षर कराएगा और तब, न कि उससे पूर्व, उसे मतपत्र परिदत्त करेगा (निर्वाचकों को मतपत्र क्रमसंख्यानुसार नहीं दिए जायेंगे, वे बीच-बीच में से दिए जाएंगे); और

(पांच) उसको मतदान कोष्ठों में से एक में जाने के लिए, वहां मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने, उसे मोड़ने और उसको पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखी मतपेटी में डालने का निदेश देगा।

8. यदि कोई निर्वाचक मत अभिलिखित करने की प्रक्रिया जानना चाहे, तो उसे मतपत्र के पीछे लिखे अनुदेश स्पष्ट कर दिए जायेंगे।

9. यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र परिदत्त किया जा चुका है, दूसरा मतपत्र चाहे, तो मतदान अधिकारी उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक को तब तक दूसरा नया मतपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे ऐसा करने का निदेश न दे।

10. यदि निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है, तो उसे वह अप्रयुक्त मतपत्र पीठासीन अधिकारी को लौटाना होगा और न कि मतदान अधिकारी को मतदान अधिकारी ऐसे निर्वाचक को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा।

11. यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता अथवा अंधेपन अथवा शारीरिक अथवा अन्य नि:शक्तता के कारण अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो, तो उसे आवश्यक सहायता दिए जाने के लिए पीठासीन अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक मामले का पृथक रूप से रिकॉर्ड रखा जाएगा।

12. मतदान के बंद हो जाने के पश्चात्, मतदान अधिकारी उन्हें दिए गए मतपत्रों का लेखा संलग्न प्ररूप में भर कर पीठासीन अधिकारी को देंगे।

13. मतदान अधिकारी मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा। इस संबंध में राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 22 के उपबंध निम्न प्रकार हैं:—

> "22. **मतदान की गोपनीयता बनाए रखना**–(1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित नहीं करेगा।
>
> (2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"

नई दिल्ली;
दिनांक: .....

राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग ऑफिसर और
पीठासीन अधिकारी।

परिशिष्ट सात

अनुसूची

(**देखिए** नियम 33)

परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश

1. इस अनुसूची में—

(1) ''बने रहने वाले अभ्यर्थी'' पद से कोई ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी दिए गए समय पर मतदान से अपवर्जित नहीं हुआ है;

(2) ''प्रथम अधिमान'' पद से किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लगाया गया अंक 1 अभिप्रेत है, इसी प्रकार ''द्वितीय अधिमान'' से अंक 2, ''तृतीय अधिमान'' से अंक 3 और इसी प्रकार आगे अभिप्रेत है;

(3) ''अगला उपलभ्य अधिमान'' पद से, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए लगातार संख्याक्रम में अभिलिखित द्वितीय या पश्चात्वर्ती अधिमान अभिप्रेत है, तत्पूर्व अपवर्जित किए जा चुके अभ्यर्थियों के लिए अधिमानों को गिनती में नहीं लिया जाएगा;

(4) ''अनिश्शेषित पत्र'' पद से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित हैं;

(5) ''निश्शेषित पत्र'' से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित नहीं है, परन्तु किसी पत्र को ऐसी दशा में निश्शेषित समझा जाएगा जिसमें कि—

(क) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे बने रहने वाले हों या न हों, एक ही अंक से चिह्नित हैं और अधिमान के क्रम में अगले हैं; या

(ख) अधिमान के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह बना रहने वाला हो या न हो, ऐसे अंक से जो मतपत्र पर किसी अन्य अंक के ठीक बाद का अंक नहीं है या दो या अधिक अंकों से चिह्नित है।

2. हर गणना में हर मतपत्र—

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नियम 30 के अधीन यथाअवधारित मतों की संख्या का; और

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में, एक मत का, सूचक है।

3. हर एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या अभिनिश्चित कीजिए और उसके नाम वह संख्या आकलित कर दीजिए।

4. सब अभ्यर्थियों के नाम ऐसी आकलित संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ को दो से भाग दीजिए और यदि कोई शेष हो तो उसको गिनती में न लेकर भागफल में एक जोड़ दीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या वह कोटा है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

5. यदि पहली या किसी पश्चात्वर्ती गणना के अन्त में किसी अभ्यर्थी के नाम आकलित मतों की कुल संख्या कोटा के बराबर या उससे अधिक है या बना रहने वाला अभ्यर्थी केवल एक है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

6. यदि किसी गणना के अन्त में कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता तो,—

(क) उस क्रम तक, मतों की सबसे कम संख्या जिस अभ्यर्थी के नाम आकलित है उसे अपवर्जित कीजिए;

(ख) उसके पार्सल और उप-पार्सलों में के सब मतपत्रों की परीक्षा कीजिए, उप-पार्सलों में के अनिश्शेषित पत्रों को, बने रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए उन पर अभिलिखित अगले उपलभ्य अधिमानों के अनुसार रखिए, हर एक उप-पार्सल में के अधिमान मतों की संख्या गिनिए और उसे उस अभ्यर्थी के नाम आकलित कीजिए जिसके लिए ऐसा अभिलिखित है, उप-पार्सल को उस अभ्यर्थी को अन्तरित कर दीजिए और सब निश्शेषित पत्रों का पृथक उप-पार्सल बनाइए; और

(ग) देखिए कि क्या बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से किसी ने, ऐसे अन्तरण और उसके नाम में किए गए आकलन के पश्चात् कोटा प्राप्त कर लिया है।

जब कोई अभ्यर्थी ऊपर के खण्ड (क) के अधीन अपवर्जित किया जाना है तब यदि मतों की एक ही संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम आकलित की गई है और वे मतदान में सबसे नीचे हैं तो उस अभ्यर्थी को अपवर्जित कीजिए जिसने प्रथम अधिमान मतों की सबसे कम संख्या प्राप्त की थी और यदि वह संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में भी वही थी तो लॉट द्वारा विनिश्चित कीजिए कि उनमें से किसको अपवर्जित किया जाएगा।

ऊपर के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निश्शेषित पत्रों के सब उप-पार्सल अंतिम रूप से निपटाए गए के रूप में अलग रखे जाएंगे और उन पर अभिलिखित मतों को तत्पश्चात् हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

परिशिष्ट आठ

प्ररूप 6

(**देखिए** नियम 20)

भाग 1 — मतपत्र लेखा

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

मतदान के स्थान का नाम . . . . . .

	क्रम संख्या		कुल संख्या
	से	तक	
1. प्राप्त मतपत्र			
2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र			
3. मतदाताओं को दिए गए मतपत्र			
4. रद्द किए गए मतपत्र			

तारीख ....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 2 — गणना का परिणाम

(**देखिए** नियम 32)

(1) मतदान के स्थान में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या.....

(2) इस भाग में मद (1) के सामने यथादर्शित कुल संख्या और भाग 1 की मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को दिए गए मतपत्रों की कुल संख्या में से भाग 1 की मद 4 में यथादर्शित रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या घटाकर प्राप्त संख्या के बीच कोई अन्तर, यदि हो।

तारीख . . . .

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

S3\E\Report 2017\731LS(H)\771LS1

परिशिष्ट नौ

घोषणा

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि श्री/श्रीमती ....
(पता ....) भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

नई दिल्ली;

दिनांक...................

....

रिटर्निंग ऑफिसर

परिशिष्ट दस

प्ररूप 7

[देखिए नियम 35(1)(ग)]

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन परिणाम की विवरणी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	प्रथम गणना में प्राप्त मत	प्रथम अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 3 और 4 का जोड़.	द्वितीय अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 5 और 6 का जोड़.	तृतीय अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 7 और 8 का जोड़.	चतुर्थ अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 9 और 10 का जोड़.				
	निश्शेषित मत													
	जोड़													

..... मतों के सूचक विधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या.....

.....मतों के सूचक अविधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या.....

मैं घोषित करता हूं कि

(नाम) .....

(पता) .....

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान .....

तारीख .....

.....

रिटर्निंग ऑफिसर

GMGIPMRND—771LS—15-06-2017.